



सत्यमेव जयते

**वार्षिक रिपोर्ट 2016-17**  
**ANNUAL REPORT 2016-17**

**भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण**  
(2009 में स्थापित)

**AIRPORTS ECONOMIC REGULATORY AUTHORITY OF INDIA**  
(Established in 2009)

 भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण  
AIRPORTS ECONOMIC REGULATORY AUTHORITY OF INDIA


 भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण  
AIRPORTS ECONOMIC REGULATORY AUTHORITY OF INDIA

**वार्षिक लेखा विवरण**  
**ANNUAL STATEMENT OF ACCOUNTS**





Chairperson Mr. S. Machendranathan



Shri Subrata Samanta, Member



Shri N. Shankar, Member



भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण  
वर्ष 2016-17 की वार्षिक रिपोर्ट

**1. परिचय**

श्री नरेश चंद्र समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों के परिणामस्वरूप, भारत सरकार ने भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (ऐरा) की स्थापना की। यह एक सांविधिक निकाय है जिसे भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 के तहत गठित किया गया है। ऐरा को सरकार की दिनांक 12.05.2009 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 317 (ई) द्वारा स्थापित किया गया था। इसका प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में है।

**2. प्राधिकरण के सदस्यों का विवरण**

**(क) श्री. एस मचेन्द्रनाथन, अध्यक्ष**

श्री. एस मचेन्द्रनाथन ने दिनांक 9 मार्च, 2015 को भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण में अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया।

श्री. मचेन्द्रनाथन तमिलनाडु के तिरुनलवेली जिले से हैं और इनका उत्कृष्ट शैक्षिक कैरियर रहा है। वे कोचीन विश्वविद्यालय से एमबीए पूरा करने के बाद 1977 में भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) में आए और उसके बाद 1979 में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) में पदभार संभाला।

तमिलनाडु संवर्ग के आईएएस अधिकारी श्री. एस मचेन्द्रनाथन ने तमिलनाडु सरकार और भारत सरकार में अनेक महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। तमिलनाडु सरकार में वे तंजावुर जिले के कलेक्टर रहे, तमिलनाडु सरकार के परिवहन, खाद्य, सहकारिता और उपभोक्ता संरक्षण विभागों में आयुक्त/सचिव तथा तमिलनाडु बिजली बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे। इन्होंने भारत सरकार में तूतीकोरिन पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष, इस्पात मंत्रालय तथा नागर विमानन मंत्रालय में अपर सचिव और वित्त सलाहकार का पद भी संभाला तथा मार्च, 2014 में सरकारी सेवा से अधिवर्षिता से पूर्व मंत्रिमंडल में सचिव (समन्वय) का पदभार भी ग्रहण किया।

इन्होंने एयर इंडिया, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लिमिटेड और मेटालर्जिकल एंड इंजीनियरिंग कंसलटेंट्स (इंडिया) लिमिटेड जैसी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में सरकारी निदेशक के रूप में भी कार्य किया।

**(ख) श्री शंकर नारायण स्वामी, सदस्य**

श्री एन. शंकर ने ऐरा में दिनांक 27 अक्टूबर, 2016 को सदस्य के रूप में पदभार ग्रहण किया। वह 6 वर्षों से अधिक अवधि के लिए भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्विजि बैंक) के कार्यकारी निदेशक थे। श्री एन. शंकर अक्टूबर, 2011 से अक्टूबर, 2014 तक तीन वर्षों के लिए एक्विजि बैंक से प्रतिनियुक्ति पर केन्द्र सरकार के अपर सचिव ग्रेड में ईसीजीसी लिमिटेड (पूर्व में भारतीय निर्यात क्रेडिट गारंटी निगम लिमिटेड) के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक थे और इसी अवधि में वह एक्विजि बैंक के निदेशक थे। श्री शंकर के पास वित्तीय सैक्टर में 39 वर्षों का विविध अनुभव है इसमें भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 6 वर्ष और एक्विजि बैंक में 30 वर्ष और ईसीजीसी लिमिटेड में 3 वर्ष का अनुभव शामिल है।

वह संस्था की स्थापना से एक्जिम बैंक में रहे हैं। श्री शंकर के पास टर्म लेंडिंग, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वित्त पोषण और निर्यात क्रेडिट बीमा में शीर्ष स्तर का अनुभव है। श्री शंकर की विशेषज्ञता और अनुभव में कॉर्पोरेट क्रेडिट, एसएमई क्रेडिट, घरेलू/अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में निधियां जुटाने, निर्यात क्रेडिट बीमा, एकीकृत खजाना, जोखिम प्रबंधन, एमआईएस, आईटी कॉर्पोरेट खाते और विनियामक अनुपालन शामिल हैं।

श्री शंकर मद्रास विश्वविद्यालय से स्नातक में गणित रैंक धारक, इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकर्स (सीआईआईबी) के एक प्रमाणित सहयोगी और आईसीएफएआई से चार्टर्ड वित्तीय विश्लेषक(सीएफए) हैं।

श्री शंकर चुनौती पूर्ण समय में संस्था निर्माण में शामिल थे। उनकी सिद्ध विशेषज्ञता में बातचीत कौशल, पॉलिसी और प्रक्रियाओं को तैयार करना, मजबूत प्रणालियों और नियंत्रणों के कार्यान्वयन, नई पहल विशेषकर ब्रांड बिल्डिंग को आकार देने और कार्यान्वयन करने, मानव संसाधन प्रबंधन, सूचना प्रौद्योगिकी और भारत में कार्यालयों के नेटवर्क का विस्तार करना शामिल है।

### (ग) श्री सुब्रत सामंता, सदस्य


श्री एस. सामंता ने दिनांक 17 नवम्बर, 2016 को भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (ऐरा) में सदस्य का पदभार ग्रहण किया है। उन्हें कोलकता विश्वविद्यालय से वाणिज्य में डिग्री प्राप्त है और वह भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान के सदस्य है।

श्री एस. सामंता भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (ऐरा) में शामिल होने से पहले भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में कार्यपालक निदेशक (जेवीसी/टैरिफ) के रूप में काम कर रहे थे। उन्होंने 1985 में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में कार्यग्रहण किया था और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अपने कार्यकाल के दौरान वित्त और वाणिज्यिक विभागों में कई जिम्मेदार पदों पर रहे। वह भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में टैरिफ डिविजन और संयुक्त उद्यम मॉनिटरिंग सेल के प्रभारी भी थे।

श्री सामंता ने 1985 में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में अपने करियर की शुरुआत की और उन्हें विमानन क्षेत्र में लगभग 32 वर्ष का अनुभव है। उनके पास हवाई अड्डा क्षेत्र में वित्तीय प्रबंधन, हवाई अड्डों के टैरिफ निर्धारण और हवाई अड्डा के क्षेत्र में पी.पी.पी. परियोजना के अनुवीक्षण (मॉनीटर करने) के बारे में समृद्ध अनुभव और जानकारी है।

### 3. संगठनीय ढांचा

प्राधिकरण का संगठनीय ढांचा नीचे दिया गया है:





ऐरा के स्टाफ में विमानन क्षेत्र, वित्त क्षेत्र आदि में अनुभव वाले विभिन्न केंद्रीय, राज्य सेवाओं और विभागों/संगठनों से प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारी/कर्मचारी हैं। 31 मार्च 2017 को ऐरा में कुल 17 अधिकारी/कर्मचारी थे।

#### 4. विनियम का दायरा

अधिनियम में परिभाषित प्राधिकरण के मुख्य कार्य निम्नानुसार हैं:

- वैमानिक सेवाओं के लिए टैरिफ का निर्धारण करना
- प्रमुख हवाई अड्डों के संबंध में विकास शुल्क की राशि निर्धारित करना
- विमान अधिनियम, 1934 (22 का 1934) के तहत बनाए गए विमान नियम, 1937 के नियम 88 के तहत लागू पीएसएफ की राशि निर्धारित करना
- सेवा की गुणवत्ता, निरंतरता और विश्वसनीयता से संबंधित निर्धारित निष्पादन मानकों की निगरानी करना जो कि केन्द्रीय सरकार या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

ऐरा, विमानपतन सुविधाओं के सुधार के लिए, इन सुविधाओं में समय से किए गए निवेश, ऐसे निवेशों पर उचित रिटर्न प्रदान करने तथा कुशल और आर्थिक संचालन को बनाए रखने/सुधार करने के लिए लागत पर खर्च करने के लिए अपेक्षित पूंजीगत व्यय को ध्यान में रखते हुए सभी वैमानिक सेवाओं के लिए टैरिफ निर्धारित करता है। प्राधिकरण वैमानिक सेवाओं के अलावा अन्य सेवाओं से प्राप्त राजस्व के हिस्से पर भी विचार करता है और किसी भी करार या समझौता ज्ञापन में या अन्यथा केंद्रीय सरकार द्वारा प्रस्थापित रियायत, यदि कोई हो, और कोई अन्य बात जो टैरिफ के निर्धारण के लिए सुसंगत हो को ध्यान में रखता है।

#### 5. नए विनियम/प्रक्रियाएं आदि जो अधिसूचित/जारी की गईं

जून 2016 में, प्राधिकरण ने हवाई अड्डों में किए गए पूंजीगत व्यय के संबंध में बिल्डिंग ब्लॉकों के लिए नोरमेटिव अप्रोच निर्धारित करने का आदेश जारी किया। जनवरी 2017 में, प्राधिकरण ने राष्ट्रीय नागर विमानन नीति 2016 (एनसीएपी 2016) के अनुसार वैमानिक/गैर-वैमानिक राजस्व पर विचार करने के लिए हाइब्रिड विनियामक अपनाने के लिए हवाई अड्डा ऑपरेटरों के आर्थिक विनियम में विनियामक फिलॉस्फी और अप्रोच के मामले में अपने दिशा निर्देशों में संशोधन किया। फरवरी, 2017 में, प्राधिकरण ने भारत सरकार के एनसीएपी 2016 के प्रावधानों के अनुरूप ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए संगणना मूल्यांकन के मानदंडों के संबंध में अपने दिशानिर्देशों में संशोधन किया। मार्च 2017 में, "प्राधिकरण ने महा विमानपतनों पर क्षेत्रीय कनेक्टिविटी स्कीम (आरसीएस) - उड़ान में रियायत देने के आदेश जारी कर दिए"।



## 6. प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश

वित्त वर्ष के दौरान प्राधिकरण ने निम्नलिखित 16 आदेश पारित किए:

क्र.सं.	दिनांक	विवरण
1.	08.04.2016	01.05.2016 से प्रभावी नियंत्रण अवधि के लिए जयपुर और लखनऊ हवाई अड्डों में इंडोथाई एयरपोर्ट मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (आईटीएमएस) द्वारा ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज के लिए टैरिफ
2.	08.04.2016	दूसरी नियंत्रण अवधि के लिए महा विमानपत्तनों पर एयर इंडिया द्वारा कार्गो और ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए टैरिफ
3.	08.04.2016	01.04.2016 से प्रभावी नियंत्रण अवधि के लिए मुंबई हवाई अड्डे पर मैसर्स काले लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड (काले लॉजिस्टिक्स) द्वारा जीएमएएक्स सेवाओं के लिए टैरिफ
4.	22.04.2016	अहमदाबाद हवाई अड्डे पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा घरेलू संचालन के लिए टैरिफ वर्ष 2015-16 के लिए तदर्थ टैरिफ
5.	16.05.2016	जयपुर और लखनऊ हवाई अड्डे में मैसर्स इंडोथाई एयरपोर्ट मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (आईटीएमएस) द्वारा ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज के लिए टैरिफ- 1 अप्रैल 2016 को शुरू दूसरी नियंत्रण अवधि के लिए अंतरिम व्यवस्था
6.	31.05.2016	एमआईएएल द्वारा संचालित मुंबई हवाई अड्डे के लिए टैरिफ - मौजूदा टैरिफ को 31.05.2016 के बाद जारी रखना।
7.	22.06.2016	दूसरी नियंत्रण अवधि के लिए महा विमानपत्तनों पर एयर इंडिया द्वारा कार्गो और ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए टैरिफ
8.	23.08.2016	दूसरी नियंत्रण अवधि के लिए महा विमानपत्तनों पर एयर इंडिया द्वारा कार्गो और ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए टैरिफ
9.	26.09.2016	दिनांक 24.04.2016 के ऐराट आदेश के संदर्भ में मुंबई एयरपोर्ट पर मैसर्स काले लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड (काले) द्वारा जीएमएएक्स ईडीआई सेवाओं के लिए टैरिफ
10.	29.09.2016	विमानों के लिए कार्गो सुविधा, ग्राउंड हैंडलिंग और ईंधन की आपूर्ति के एयरपोर्ट आपरैटरों/सेवा प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराई गई वैमानिकी सेवाओं के लिए टैरिफ- दूसरी नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करने तक मौजूदा टैरिफ की लेवी जारी रखने के लिए अंतरिम व्यवस्था।
11.	29.09.2016	मुंबई हवाई अड्डा के लिए टैरिफ- मौजूदा टैरिफ का 30.09.2016 के बाद जारी रखना
12.	29.09.2016	मुंबई हवाई अड्डा के लिए टैरिफ- मौजूदा टैरिफ का 30.09.2016 के बाद जारी रखना
13.	14.02.2017	नई दिल्ली हवाई अड्डे पर मैसर्स सेलेबी दिल्ली कार्गो टर्मिनल मैनेजमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (सेलेबी) द्वारा कार्गो हैंडलिंग सर्विसेज के लिए दूसरी नियंत्रण अवधि के प्रथम वर्ष के लिए टैरिफ।
14.	27.03.2017	पहली नियंत्रण अवधि के लिए चंडीगढ़ हवाई अड्डे के लिए टैरिफ
15.	28.03.2017	दूसरी नियंत्रण अवधि के प्रथम टैरिफ वर्ष के लिए मैसर्स मेन्जिस कार्गो हैंडलिंग सर्विसेज द्वारा बंगलौर हवाई अड्डे में कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के लिए टैरिफ
16.	31.03.2017	विमानों के लिए कार्गो सुविधा, ग्राउंड हैंडलिंग और ईंधन की आपूर्ति के एयरपोर्ट आपरैटरों/सेवा प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराई गई वैमानिकी सेवाओं के लिए टैरिफ- दूसरी नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करने तक मौजूदा टैरिफ की लेवी जारी रखने के लिए अंतरिम व्यवस्था।



## 7. निदेश

1.	संख्या 08/2016-17 दिनांक 31.03.2017	प्राधिकरण ने महा विमानपतन पर विमान को कार्गो सुविधा, ग्राउंड हैंडलिंग और ईंधन की आपूर्ति प्रदान करने वाले स्वतंत्र सेवा प्रदाताओं के लिए "पास 'थ्रू' के माध्यम से" व्यय के रूप में हवाई अड्डा ऑपरेटर को देय रॉयल्टी/ राजस्व शेयर का प्रतिशत कैप करने के मामले में परामर्श पत्र जारी किया।
----	--	---

## 8. निष्पादन मानकों की निगरानी

प्राधिकरण वर्तमान में हवाई अड्डे के निष्पादन मानकों की निगरानी के लिए हवाई अड्डा ऑपरेटरों द्वारा नियुक्त विभिन्न एजेंसियों द्वारा दी गई रेटिंग पर भरोसा करता है। प्राधिकरण निष्पादन मानकों के बेहतर मूल्यांकन के लिए एक उद्देश्यपरक, पारदर्शी प्रक्रिया तैयार करने की प्रक्रिया में है।

## 9. पणधारियों से परामर्श

प्राधिकरण में वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान पणधारियों से परामर्श के लिए 6 परामर्श पत्र जारी किए:

क्र. सं.	दिनांक	विषय
1.	20.12.2016	नई दिल्ली हवाई अड्डे पर मैसर्स सेलेबी दिल्ली कार्गो टर्मिनल मैनेजमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (सेलेबी) द्वारा कार्गो हैंडलिंग सर्विसेज के लिए दूसरी नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ।
2.	14.02.2017	पहली नियंत्रण अवधि के लिए चंडीगढ़ हवाई अड्डे के लिए टैरिफ
3.	16.02.2017	दूसरी नियंत्रण अवधि के लिए बेंगलुरु हवाई अड्डे पर मैसर्स भारत स्टार्स सर्विस प्राइवेट लिमिटेड (बीएसएसपीएल) द्वारा इनटो प्लेन सेवाओं के लिए टैरिफ
4.	16.02.2017	नई दिल्ली हवाई अड्डे पर मैसर्स दिल्ली कार्गो सर्विस सेंटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (डीसीएससी) द्वारा कार्गो हैंडलिंग सर्विसेज के दूसरी नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ।
5.	16.02.2017	दूसरी नियंत्रण अवधि के लिए बेंगलुरु हवाई अड्डे पर मैसर्स मेन्जिस एविएशन बोर्बा (बेंगलुरु) प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कार्गो हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए टैरिफ।
6.	28.03.2017	दूसरी नियंत्रण अवधि के लिए एएआई द्वारा संचालित त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डा के लिए टैरिफ





# 10. अपील:

(क) ऐराट (ईआरएटी) में वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान 7 अपील फाईल की गई:

क्र. सं.	अपील संख्या	केस का शीर्षक	प्राधिकरण के उन आदेशों/निदेशों का विवरण जिन्हें चुनौती दी गई है।	फाईल करने की तिथि
1	4/2016	डायल बनाम यूओआई और अन्य (एएआई और ऐरा)	महा विमानपत्तनों पर पूंजीगत व्यय की नोरमेटिव अप्रोच पर आदेश के विरुद्ध	13.07.2016
2	5/2016	जीएमआर एचआईएएल बनाम यूओआई और अन्य (ऐरा)	महा विमानपत्तनों पर पूंजीगत व्यय की नोरमेटिव अप्रोच पर आदेश के विरुद्ध	13.07.2016
3	6/2016	एमआईएएल बनाम ऐरा और अन्य (यूओआई एवं एएआई)	महा विमानपत्तनों पर पूंजीगत व्यय की नोरमेटिव अप्रोच पर आदेश के विरुद्ध	13.07.2016
4	7/2016	बीआईएएल बनाम ऐरा और अन्य (यूओआई)	महा विमानपत्तनों पर पूंजीगत व्यय की नोरमेटिव अप्रोच पर आदेश के विरुद्ध	13.07.2016
5	8/2016	डोमेस्टिक एयर कॉर्पोरेशन एजेंट्स एसोसिएशन आफ इंडिया (डीएसीएआई) और अन्य बनाम डीसीएससी और अन्य (यूओआई और ऐरा)	पहली नियंत्रण अवधि के चौथे टैरिफ वर्ष के लिए मैसर्स डीसीएससी द्वारा दिल्ली में कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के लिए टैरिफ के आदेश के विरुद्ध	10.06.2016
6	9/2016	एमआईएएल बनाम ऐरा और अन्य	मुंबई हवाई अड्डे के संबंध में दूसरी नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ के आदेश के विरुद्ध	04.11.2016
7	01/2017	भारतीय विमान यात्री संस्था (एयर पैसेंजर एसोसिएशन आफ इंडिया) बनाम ऐरा	ऐरा की विनियामक अप्रोच के कुछ पहलुओं (विनियामक को अपनाने तक) को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित एनसीएपी 2016 के प्रावधान के अनुरूप करने के मामले में आदेश के विरुद्ध	10.03.2017

(ख) निम्नलिखित केस उच्च न्यायालय में दायर किए गए:

क्र.सं.	रिट याचिका संख्या	केस का शीर्षक	प्राधिकरण के उन आदेशों/निदेशों का विवरण जिन्हें चुनौती दी गई है।	दायर करने की तारीख
1	24891/2016	भारतीय विमान यात्री संस्था (एयर पैसेंजर एसोसिएशन आफ इंडिया)(एपीएआई) बनाम यूओआई और अन्य प्रतिवादी	हैदराबाद उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका. ऐरा इस मामले में दूसरा प्रतिवादी है। रिट याचिका में यूडीएफ के संग्रहण को गैरकानूनी, मनमानी और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत घोषित करते हुए रिट, ऑर्डर या निदेश जारी करने की मांग की है।	25.07.2016



## 11. प्रशासनिक और स्थापना मामले Administrative & Establishment matters

### (क) सरकार की राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

यद्यपि प्राधिकरण द्वारा टैरिफ के निर्धारण का कार्य तकनीकी स्वरूप का है, वित्त वर्ष 2016-17 में सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए ऐरा द्वारा सभी प्रयास किए गए। ऐरा में हिंदी में काम करने के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के लिए एक हिन्दी पखवाड़े का आयोजन दिनांक 14 से 28 सितम्बर, 2016 तक किया गया। हिन्दी पखवाड़े के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। जिनमें 21 अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया। विजेता प्रतिभागियों को नगद पुरस्कार व प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान अधिकारियों/कर्मचारियों के लाभ के लिए तीन कार्यशालाओं का आयोजन किया गया था। इन कार्यशालाओं में 23 अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया। राजभाषा कार्यान्वयन समिति की नियमित बैठकें प्राधिकरण के अध्यक्ष की अध्यक्षता में प्राधिकरण के सदस्यों के साथ आयोजित की गईं। प्राधिकरण में हिन्दी प्रोत्साहन योजना लागू की गई ताकि अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा अधिक से अधिक कार्य हिन्दी में किए जाने पर जोर दिया जा सके। वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान हिन्दी पत्राचार का स्तर 'क', 'ख' और 'ग' क्षेत्रों में क्रमशः 68.72%, 55.56% और 55% तक प्राप्त किया गया।

### (ख) महिला कल्याण जिसमें जैन्डर बजटीय डॉटा शामिल है:

इस कार्यालय में 15 महिला अधिकारी/कर्मचारी हैं जिनमें प्रतिनियुक्ति पर आई महिलाएं और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से लोन पर आई और ऑउट-सोर्स स्टाफ के आधार पर कार्य करने वाली महिलाएं भी शामिल हैं। कार्यालय परिसर में महिलाओं के कल्याण के लिए पर्याप्त रूप से सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।

### (ग) जन शिकायत निवारण प्रक्रिया:

प्राधिकरण प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के लोक शिकायत पोर्टल में पंजीकृत है और शिकायतों का निवारण निर्धारित समय में किया जाता है।

### (घ) प्रदूषण नियंत्रण:

प्राधिकरण हवाई अड्डों में अनुकूल पर्यावरण उपायों जैसे सौर/नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग, पानी की रीसाइक्लिंग आदि को प्रोत्साहित करता है।

### (ड.) दिनांक 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व:

ऐरा केवल प्रतिनियुक्ति के आधार पर अधिकारियों और कर्मचारियों को भर्ती करता है। इसलिए आरक्षण नीति यहां लागू नहीं है तथापि अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारी ऐरा में काम कर रहे हैं।

### (च) परामर्शदाताओं की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया:

वर्ष 2016-17 के दौरान महा विमानपत्तनों और स्वतंत्र सेवा प्रदाताओं (आईएसपी) के लिए टैरिफों का निर्धारण करने के कार्य में प्राधिकरण की सहायता हेतु परामर्शदाताओं की नियुक्ति के लिए एनआईटी जारी किया गया था। एनआईटी के ओपन विज्ञापनों के माध्यम से चार (4) परामर्शदाताओं अर्थात् अर्नस्ट एंड यंग, पीकेएफ श्रीधर, डिलायट और केपीएमजी को परामर्शदाताओं के रूप में नियुक्त किया था।



## 12. बजट और लेखा:

### (क) निधियन संरचना

ऐरा सरकार के सहायता अनुदान के माध्यम से निधियन प्राप्त करता है। वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान ऐरा ने नागर विमानन मंत्रालय से 4 करोड़ रूपए प्राप्त किए थे। ऐरा अपनी सेवाओं के लिए कोई शुल्क/प्रभार नहीं लगाता/एकत्रित नहीं करता।

## 13. विनियामक पक्ष-समर्थक और उपयोगकर्ताओं के हितों की सुरक्षा

प्राधिकरण के अधिकारी ऐरा नियामक फिलास्फी के कार्यों और गतिविधियों के बारे में सूचना का प्रसार करने के लिए सेमिनार/कार्यशालाओं में भाग लेते हैं। अध्यक्ष भी अन्य नियामक प्राधिकरणों में विकास संबंधी जानकारी के लिए नियामक फोरम में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं।

## 14. क्षमता में वृद्धि

प्राधिकरण अपने अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्य संबंधित प्रशिक्षण/सेमिनार(संगोष्ठी)/कार्यशाला में भेजता है।

## 15. लेखा और लेखापरीक्षा

वित्त वर्ष 2016-17 के लिए आय और व्यय लेखा और दिनांक 31 मार्च, 2017 का तुलन पत्र संलग्न हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी एंड एजी) के कार्यालय द्वारा जारी वित्त वर्ष 2016-17 के लिए प्राधिकरण के लेखा पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट भी संलग्न है।





भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

\*\*\*\*\*

31.03.2017 को तुलन-पत्र

(राशि- रूपए)

कॉर्पोस/पूंजी निधि और देनदारियां	अनुसूची	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
कॉर्पोस/पूंजी निधि	1	41,75,727.00	41,75,727.35
आरक्षित और अधिशेष	2	-	-
निर्धारित/अक्षय निधि	3	-	-
सुरक्षित ऋण उधार	4	-	-
असुरक्षित ऋण उधार	5	-	-
आस्थगित ऋण देनदारियां	6	-	-
मौजूदा देनदारियां और प्रावधान	7	2,57,66,557.00	2,79,44,191.00
		2,99,42,284.00	3,21,19,918.35
<b>परिसंपत्ति</b>			
अचल परिसंपत्ति	8	18.00	18.00
निर्धारित/अक्षय निधि से निवेश	9	-	-
निवेश - अन्य	10	-	-
मौजूदा परिसंपत्ति, ऋण, अग्रिम आदि	11	68,55,636.00	3,21,19,900.35
विविध व्यय		-	-
(बड़े खातों में डाले जाने या समायोजित नहीं किए जाने तक)		-	-
आय से अधिक व्यय	1	2,30,86,630.00	
		2,99,42,284.00	3,21,19,918.35
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	24		
आकस्मिक देयताओं और खातों पर टिप्पण	25		

जी एम आर एंड एसोसिएट्स के लिए

प्रबंधन की ओर से

*(हस्ताक्षर)*

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

एफ आर एन 024434एन

हस्ताक्षर

मोहित गुप्ता

भागीदार



*(हस्ताक्षर)*

एस मचेन्द्रनाथन

अध्यक्ष

*(हस्ताक्षर)*

पूजा जिंदल

सचिव

सदस्यता संख्या : 517283

स्थान : नई दिल्ली



भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

\*\*\*\*\*

31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय का लेखा

(राशि- रूपए)

आय	अनुसूची	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
विक्रय /सेवाओं से आय	12	-	-
अनुदान/सहायिकी	13	4,00,52,674.00	9,51,75,000.00
फीस/सदस्यता शुल्क	14	-	-
निवेश पर आय	15	-	-
निर्धारित/अक्षय निधि से निधि में अंतरित	-	-	-
रायल्टी, प्रकाशन आदि से आय	16	-	-
अर्जित ब्याज	17	-	-
अन्य आय	18	82,664.00	8,266.00
तैयार माल और तैयार किए जा रहे माल के	19	-	-
स्टाक में वृद्धि/(कमी)			
पूर्व अवाध समायोजित (रिटन बैंक)	23क	7,86,874.00	-
<b>कुल (क)</b>		<b>4,09,22,212.00</b>	<b>9,51,83,266.00</b>
<b>व्यय</b>			
स्थापना व्यय	20	2,55,16,172.00	2,70,64,470.00
प्रशासनिक व्यय	21	3,84,92,670.00	3,05,88,127.63
मूल्यहास	8	-	-
अनुदान और सहायिकी पर व्यय	22	-	-
ब्याज	23	-	-
पूर्व अवधि अन्य व्यय			
<b>कुल (ख)</b>		<b>6,40,08,842.00</b>	<b>5,76,52,597.63</b>
आय से अधिक व्यय का शेष (क-ख)		(2,30,86,630.00)	3,75,30,668.37
विशेष आरक्षित में अंतरण (प्रत्येक निर्दिष्ट करें)			
(क) मरम्मत और रखरखाव हेतु प्रावधान		-	-
(ख) इलेक्ट्रिसिटी हेतु प्रावधान		-	-
सामान्य आरक्षित से/को अंतरण			
अधिशेष बैलेंस/(घाटा) कॉर्पस/पूंजी निधि में ले जाया गया।		(2,30,86,630.00)	3,75,30,668.37
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	24		
आकास्मिक देयताओं और खातों पर टिप्पणियां	25		

जी एम आर एंड एसोसिएट्स के लिए

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

एफ आर एन 024434एन

हस्ताक्षर

मोहित गुप्ता

भागीदार

सदस्यता संख्या : 517283

स्थान : नई दिल्ली

प्रबंधन की ओर से

ए.एम.नाथन

एस मचेन्द्रनाथन

अध्यक्ष

पूजा जिंदल  
सचिव





भारतीय विमानपत्तन अधिक विनियामक प्राधिकरण  
31.03.2017 को समाप्त वर्ष की प्रारम्भिक और शुगतन

प्राप्तियाँ	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	शुगतन	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. अग्रणीय क) नकद शेष ख) बैंक बैलेंस ग) चालू खातों में घ) जमा खातों में ङ) बचत खातों में च) अग्रणीय धन ज) प्राप्त अनुदान क) भारत सरकार से ख) राज्य सरकार से ग) अन्य स्त्रोतों से (व्यापार) (पूँजी और राजस्व खर्च के लिए अनुदान अलग दिखाए जाएँ) झ) निवेश पर आय क) निर्धारित/असह्य निधि ख) अपनी निधियाँ (अन्य निवेश)	3,21,19,900.00	32,22,903.38	9,51,75,000.00	4,33,53,520.00 2,14,73,963.00	1,98,71,155.00 4,16,69,712.63
iv) प्राप्त व्याज क) बैंक में जमा पर ख) ऋण, अधिम आदि v) अन्य आय (निर्दिष्ट करें) vi) अन्य आय (निर्दिष्ट करें) vii) अन्य शुगतन (व्यापार धन) क) शुल्क और कर viii) अंतः क्षेत्र क) नकद शेष ख) बैंक बैलेंस i) चालू खातों में ii) जमा खातों में iii) बचत खातों में	82,664.00	8,266.00	0.00	54,93,413.00 52,10,919.00	37,332.00 66,69,233.00 3,21,19,500.35
viii) अन्य देय जी एम आर एंड एसोसिएट्स के लिए चार्टर्ड एकाउंटेंट्स एफ आर एन 024434एन हस्ताक्षर नोडल गृन्ता भागीदार सदस्यता संख्या : 517283 स्थान : नई दिल्ली	32,76,577.00	19,61,163.00	10,03,67,332.38	7,55,31,815.00	10,03,67,332.98

प्रबंधन की ओर से  
एफ.एम.ए.एन.  
एस मनेन्द्रनाथन  
अध्यक्ष



जी एम आर एंड एसोसिएट्स के लिए  
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स  
एफ आर एन 024434एन  
हस्ताक्षर  
नोडल गृन्ता  
भागीदार  
सदस्यता संख्या : 517283  
स्थान : नई दिल्ली

पूजा जितल  
सचिव

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

\*\*\*\*\*

31.03.2017 को तुलन-पत्र के हिस्से की अनुसूचियां

(राशि- रूपए)

अनुसूची 1- कॉर्पस/पूँजीनिधि	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
नागर विमानन मंत्रालय सूची - ए (आरंभिक बैंक खाता खोलने के लिए) वर्ष के आरंभ में शेष	- 41,75,727.35	- (3,33,54,941.02)
जोड़ें : पिछले वर्ष से संबंधित कॉर्पस में समायोजन	-	-
घटाएं : पिछले वर्ष से संबंधित कॉर्पस में समायोजन	-	-
आय और व्यय खाते से स्थानांतरण	(2,30,86,630.00)	3,75,30,668.37
वर्ष के अंत में शेष	(1,89,10,902.65)	41,75,727.35

अनुसूची 2 - आरक्षित और अधिशेष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. पूँजी आरक्षित		
पिछले खाते के अनुसार	-	-
वर्ष के दौरान जोड़ा गया	-	-
घटाए: वर्ष के दौरान कटौती	-	-
2. पुनर्मूल्यांकन आरक्षित		
पिछले खाते के अनुसार	-	-
वर्ष के दौरान जोड़ा गया	-	-
घटाए: वर्ष के दौरान कटौती	-	-
3. विशेष आरक्षित		
पिछले खाते के अनुसार	-	-
वर्ष के दौरान जोड़ा गया	-	-
घटाए: वर्ष के दौरान कटौती	-	-
4. साधारण आरक्षित		
पिछले खाते के अनुसार	-	-
वर्ष के दौरान जोड़ा गया	-	-
घटाए: वर्ष के दौरान कटौती	-	-
कुल	-	-

अनुसूची 3- निर्धारित/अक्षय निधि	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
(क) निधियों का आरंभिक शेष	-	-
(ख) निधियों में परिवर्धन	-	-
कुल (क+ख)	-	-
(ग) निधियों का उपयोग	-	-
कुल (ग)	-	-
वर्ष के अंत में शेष (क+ख-ग)	-	-

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां  
लेखों पर आकस्मिक देयताएं





भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

\*\*\*\*\*

31.03.2017 को तुलन-पत्र के हिस्से की अनुसूचियां

(राशि- रूपए)

अनुसूची 4- सुरक्षित ऋण और उधार	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
1. केन्द्र सरकार	-	-
2. राज्य सरकार (विनिर्दिष्ट करें)	-	-
3. वित्तीय संस्थाएं		
क) आवधिक ऋण	-	-
ख) ब्याज प्रोद्भूत और देय	-	-
4. बैंक:		
क) आवधिक ऋण	-	-
ब्याज प्रोद्भूत और देय	-	-
ख) अन्य ऋण (विनिर्दिष्ट करें)	-	-
ब्याज प्रोद्भूत और देय	-	-
5. अन्य संस्थाएं और एजेंसियां	-	-
6. डिबेंचर और बांड्स	-	-
7. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	-	-
कुल		

नोट: एक वर्ष के भीतर देय राशि

अनुसूची 5- असुरक्षित ऋण और उधार	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
1. केन्द्र सरकार	-	-
2. राज्य सरकार (विनिर्दिष्ट करें)	-	-
3. वित्तीय संस्थान	-	-
4. बैंक:		
क) आवधिक ऋण	-	-
ख) अन्य ऋण (विनिर्दिष्ट करें)	-	-
5. अन्य संस्थान और एजेंसियां	-	-
6. डिबेंचर और बांड्स	-	-
7. फिक्स्ड डिपॉजिट्स	-	-
8. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	-	-
कुल	-	-

नोट: एक वर्ष के भीतर देय राशि

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

लेखों पर आकस्मिक देयताएं और टिप्पणियां



भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

\*\*\*\*\*

31.03.2017 को तुलन-पत्र के हिस्से की अनुसूचियां

(राशि- रूपए)

अनुसूची 6 - आस्थागित ऋण और देनदारियां	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क) पूंजी उपस्कर और परिसंपत्तियों के दृष्टिबंधक द्वारा सुरक्षित स्वीकृतियां	-	-
ख) अन्य	-	-
कुल	-	-
नोट : एक वर्ष के भीतर देय राशि		

अनुसूची 7- मौजूदा देनदारियां और प्रावधान	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
(क) मौजूदा देनदारियां		
1. स्वीकृतियां	-	-
2. विविध लेनदार	-	-
क) माल के लिए	-	-
ख) अन्य सूची (डी+ई)	2,48,67,263.00	2,70,73,777.00
3. प्राप्त अग्रिम	-	-
4. ब्याज प्रोद्भूत लेकिन देय नहीं	-	-
क) सुरक्षित ऋण/उधार	-	-
ख) असुरक्षित ऋण/उधार	-	-
5. वैधानिक देनदारियां	-	-
क) अति देय	-	-
ख) अन्य	-	-
6. अन्य मौजूदा देनदारियां		
क) शुल्क और कर सूची सी	5,99,294.00	870,414.00
ख) वापसी योग्य प्रतिभूति जमा सूची बी	3,00,000.00	-
कुल (क)	2,57,66,557.00	2,79,44,191.00
(ख) प्रावधान		
1. कराधान के लिए	-	-
2. उपदान	-	-
3. सेवानिवृत्ति/पेंशन	-	-
4. संचित छुट्टी नकदीकरण	-	-
5. व्यापार वारंटी/दावे	-	-
6. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	-	-
क) मरम्मत और रखरखाव हेतु प्रावधान	-	-
ख) इलैक्ट्रिसिटी हेतु प्रावधान	-	-
कुल (ख)	-	-
कुल (क+ख)	2,57,66,557.00	2,79,44,191.00

महत्वपूर्ण लेखाकरण लेखों पर आकस्मिक





भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

\*\*\*\*\*

आयकर अधिनियम के अनुसार मूल्यहास अनुसूची की 31.03.2017 की स्थिति

अनुसूची- 8

विवरण	सकल मूल्य				वर्ष के अंत में लागत मूल्य/अंश	वर्ष की शुरुआत में विद्यमान परिसंपत्तियों के लिए मूल्यहास	एस एल डम पर मूल्यहास			निवल मूल्य	
	वर्ष की शुरुआत में सकल मूल्य/अंश	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान कटौती	वर्ष के दौरान परिवर्धित परिसंपत्तियों पर मूल्यहास			वर्ष के दौरान कटौती पर	वर्ष के लिए कुल मूल्यहास	मौजूदा वर्ष में 31.03.2017 को	पिछले वर्ष में 31.03.2017 को	
ए	बी	सी	डी= (ए+बी+सी)	ई	एफ	जी	आई= (ई+एफ+जी+एच)	जे= (डी-आई)	के= (डी-आई)		
शक्ति और श्रवण											
लीजहोल्ड इंजन	1.00	-	-	1.00	-	-	-	1.00	1.00		
प्रांट और मशीनरी	1.00	-	-	1.00	-	-	-	1.00	1.00		
लिफ्ट	1.00	-	-	1.00	-	-	-	1.00	1.00		
फर्नीचर और फिटिंग्स	1.00	-	-	1.00	-	-	-	1.00	1.00		
फर्नीचर और फिटिंग	1.00	-	-	1.00	-	-	-	1.00	1.00		
जेनेरेटर	1.00	-	-	1.00	-	-	-	1.00	1.00		
विजली उपकरण	1.00	-	-	1.00	-	-	-	1.00	1.00		
कम्प्यूटर/बाह्य उपकरण	1.00	-	-	1.00	-	-	-	1.00	1.00		
कम्प्यूटर	1.00	-	-	1.00	-	-	-	1.00	1.00		
एच.पी. प्रिंटर	1.00	-	-	1.00	-	-	-	1.00	1.00		
लेपटाप	1.00	-	-	1.00	-	-	-	1.00	1.00		
स्केनर	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
सॉफ्टवेयर	1.00	-	-	1.00	-	-	-	1.00	1.00		
(विंडो, एंटी वायरस, ऑफिस)	1.00	-	-	1.00	-	-	-	1.00	1.00		
यूपीएस	1.00	-	-	1.00	-	-	-	1.00	1.00		
हार्ड ड्राइव	1.00	-	-	1.00	-	-	-	1.00	1.00		
प्रोजेक्टर	1.00	-	-	1.00	-	-	-	1.00	1.00		
कार्यालय के उपकरण	1.00	-	-	1.00	-	-	-	1.00	1.00		
ऑयल रिटर	1.00	-	-	1.00	-	-	-	1.00	1.00		
फोटो कोपिएर मशीन	1.00	-	-	1.00	-	-	-	1.00	1.00		
कागज कटर मशीन	1.00	-	-	1.00	-	-	-	1.00	1.00		
पुस्तकालय की पुस्तकें	1.00	-	-	1.00	-	-	-	1.00	1.00		
बुक स्केनर	1.00	-	-	1.00	-	-	-	1.00	1.00		
कार्यालय उपकरण	1.00	-	-	1.00	-	-	-	1.00	1.00		
	18.00			18.00				18.00	18.00		

GMR & ASSOCIATES\*  
FRN 024434N  
NEW DELHI  
INDIA  
\*CHARTERED ACCOUNTANTS



भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

\*\*\*\*\*

31.03.2017 को तुलन-पत्र के हिस्से की अनुसूचियां

(राशि- रूपए)

अनुसूची 9	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
<b>निर्धारित/अक्षय निधियों से निवेश</b>		
1. सरकारी प्रतिभूतियों में	-	-
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	-	-
3. शेयर	-	-
4. डिबेंचर और बांड्स	-	-
5. सहायक और संयुक्त उद्यम	-	-
6. अन्य (विनिर्दिष्ट किया जाए)	-	-
<b>कुल</b>	-	-
अनुसूची 10	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
<b>अन्य निवेश</b>		
1. सरकारी प्रतिभूतियों में	-	-
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	-	-
3. शेयर	-	-
4. डिबेंचर और बांड्स	-	-
5. सहायक और संयुक्त उद्यम	-	-
6. अन्य (विनिर्दिष्ट किया जाए)	-	-
<b>कुल</b>	-	-

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां  
लेखों पर आकस्मिक देयताएं और दिम्पनिआ





भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण  
31.03.2017 को तुलन-पत्र के हिस्से की अनुसूचियां

(राशि- रूपए)

अनुसूची 11	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
<b>मौजूदा परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम आदि</b> <b>(क) मौजूदा आस्तियां</b> 1. वस्तु सूची (इनवेंट्री) : क) स्टोर और अतिरिक्त पुर्जे ख) लूज टूल्स ग) व्यापार में स्टॉक तैयार माल तैयार किया जा रहा माल कच्चा माल 2. विविध देनदार क) छह महीने से अधिक अवधि के लिए बकाया ऋण ख) अन्य 3. नकद शेष (चैक/ड्राफ्ट और इम्पेस्ट सहित) 4. बैंक में जमा राशि: क) अनुसूचित बैंकों के पास चालू खाते में जमा खाते में (मार्जिन मनी शामिल) बचत खाते में ख) गैर अनुसूचित बैंकों में चालू खाते में जमा खाते में (मार्जिन मनी शामिल) बचत खाते में 5. डाकघर बचत खाते		
<b>कुल (क)</b>	52,10,919.00	3,21,19,900.35
<b>ख) ऋण, अग्रिम और अन्य परिसंपत्तियां</b> 1. ऋण : क) कर्मचारी ख) उस सत्ता के समान गतिविधियों/उद्देश्यों में लगी अन्य सत्ताएं ग) अन्य (विनिर्दिष्ट करें) 2. प्राप्त किए जाने वाले मूल्य के लिए नकद या वस्तु के रूप में बसूली योग्य अग्रिम और अन्य राशियां : क) पूंजी खातों पर (एएआई) ख) अग्रिम भुगतान ग) पूर्वसंदत्त (प्रीपेड) व्यय या अन्य (एनआईसीएसआई) घ) अन्य अग्रिम ङ.) विदेशी दौरे के लिए अग्रिम अदायगी (स्टाफ) 3. प्रोद्भूत आय: क) निर्धारित/अक्षय निधि से निवेश पर ख) निवेश पर - अन्य ग) ऋण और अग्रिम पर घ) अन्य (प्राप्त न हुई देय आय सहित, रूपए .....) 4. प्राप्त दावा:		
<b>कुल (ख)</b>	16,44,717.00	
<b>कुल (क+ख)</b>	68,55,636.00	3,21,19,900.35



महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां  
लेखों पर आकस्मिक देयताएं और हिस्सेदारी

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण  
31.03.2017 को आय और व्यय लेख के हिस्से की अनुसूचियां

(राशि- रूपए)

अनुसूची 12-	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
<b>बिक्री/सेवाओं से आय</b>		
1. बिक्री से आय		
क) तैयार माल की बिक्री	-	-
ख) कच्चे माल की बिक्री	-	-
ग) स्ट्रैप की बिक्री	-	-
2. सेवाओं से आय		
क) श्रम एवं प्रसंस्करण प्रभार	-	-
ख) व्यावसायिक/परामर्शदात्री सेवाएं	-	-
ग) एजेंसी कमीशन और दलाली	-	-
घ) अनुरक्षण सेवाएं (उपस्कर/संपत्ति)	-	-
ड) अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-
<b>कुल</b>		

अनुसूची 13-	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
<b>अनुदान/सहायिकी से आय</b>		
(अप्रतिसंहरणीय अनुदान और प्राप्त सहायिकी)		
1) केन्द्रीय सरकार	4,00,52,674.00	9,51,75,000.00
2) राज्य सरकार (सरकारें)	-	-
3) सरकारी एजेंसियां	-	-
4) संस्था/कल्याणकारी निकाय	-	-
5) अन्तर्राष्ट्रीय संगठन	-	-
<b>कुल</b>	<b>4,00,52,674.00</b>	<b>9,51,75,000.00</b>

अनुसूची 14-	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
<b>फीस/अभिदानों से आय</b>		
1) प्रवेश शुल्क	-	-
2) वार्षिक फीस/ सदस्यता शुल्क	-	-
3) संगोष्ठी/कार्यक्रम फीस	-	-
4) परामर्शदात्री फीस	-	-
5) अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-
<b>कुल</b>		

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां  
लेखों पर आकस्मिक देयताएं और दिग्दर्शिका





भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

\*\*\*\*\*

31.03.2017 को आय और व्यय लेखे के हिस्से की अनुसूचियां

(राशि- रूपए)

अनुसूची 15	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
<b>निवेशों से आय</b> (निर्धारित/अक्षय निधि से निवेश पर आय का निधि में अन्तरण)		
1. ब्याज	-	-
क) सरकारी प्रतिभूतियों पर	-	-
ख) अन्य बांड्स/डिबेंचर	-	-
2. लाभांश	-	-
क) शेयर पर	-	-
ख) म्यूचअल फंड सिक्योरिटी पर	-	-
3. किराया	-	-
4. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	-	-
<b>कुल</b>	-	-

निर्धारित/अक्षय निधियों को अन्तरित

अनुसूची 16	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
<b>रायल्टी प्रकाशन आदि से आय</b>		
1) रायल्टी से आय	-	-
2) प्रकाशनों से आय	-	-
3) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	-	-
<b>कुल</b>	-	-

अनुसूची 17	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
<b>अर्जित ब्याज</b>		
1. सावधि जमा राशियों पर		
क) अनुसूचित बैंकों के पास	-	-
ख) गैर अनुसूचित बैंकों के पास	-	-
ग) संस्थाओं के पास	-	-
घ) अन्य	-	-
2. बचत खातों पर		
क) अनुसूचित बैंकों के पास	-	-
ख) गैर अनुसूचित बैंकों के पास	-	-
ग) संस्थाओं के पास	-	-
घ) अन्य	-	-
3. ऋणों पर		
क) कर्मचारी /स्टाफ	-	-
ख) अन्य	-	-
4. देनदार और अन्य प्राप्तियों पर ब्याज	-	-
<b>कुल</b>	-	-

नोट:- टीडीएस को दर्शाया जाए



महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां  
लेखों पर आकस्मिक देयताएं और टिप्पणियां

स्थानीय लेखा परीक्षा समिति/चार्टर्ड एकाउंटेंट्स द्वारा  
स्थानीय लेखा परीक्षा के अधीन

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण  
31.03.2017 को आय और व्यय लेख के हिस्से की अनुसूचियां

(राशि- रूपए)

अनुसूची 18	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
<b>अन्य आय</b>		
1. परिसंपत्तियों की बिक्री/निपटान पर लाभ:	-	-
क) स्वामित्व वाली परिसंपत्तियां	-	-
ख) अनुदान से अधिग्रहण, या निशुल्क प्राप्त परिसंपत्तियां	-	-
2. निर्यात प्रोत्साहन से प्राप्तियां	-	-
3. विविध सेवाओं के लिए फीस (निविदा फीस)	82,664.00	8,266.00
4. विविध आय	-	-
<b>कुल</b>	<b>82,664.00</b>	<b>8,266.00</b>

अनुसूची 19	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
<b>तैयार माल और तैयार किए जा रहे माल के स्टॉक में वृद्धि/कमी</b>		
क) क्लोजिंग स्टॉक		
- तैयार माल	-	-
- तैयार किया जा रहा माल	-	-
ख) घटाएं - आरंभिक स्टॉक		
- तैयार माल	-	-
- तैयार किया जा रहा माल	-	-
<b>निवल वृद्धि/(कमी) (क -ख)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

अनुसूची 20	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
<b>स्थापना व्यय</b>		
क) वेतन और मजदूरी	2,54,50,546.00	2,67,92,581.00
ख) भत्ते और बोनस	65,626.00	24,178.00
ग) भविष्य निधि में अंशदान	-	-
घ) अन्य निधि में अंशदान (विनिर्दिष्ट करें)	-	-
ड.) विविध व्यय (मानदेय)	-	-
च) कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति और टर्मिनल लाभ पर खर्च	-	-
छ) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)/चिकित्सा व्यय	-	2,47,711.00
<b>कुल</b>	<b>2,55,16,172.00</b>	<b>2,70,64,470.00</b>

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां  
लेखों पर आकस्मिक देयताएं और टिप्पणियां



स्थानीय लेखा परीक्षा समिति/चार्टर्ड एकाउंटेंट्स द्वारा  
स्थानीय लेखा परीक्षा के अधीन



भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण  
31.03.2017 को आय और व्यय लेख के हिस्से की अनुसूचियां

(राशि- रूपए)

अनुसूची 21	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
<b>अनुसूची 21- अन्य प्रशासनिक व्यय आदि</b>		
क. बिजली और ऊर्जा	-	-
ख. मरम्मत और अनुरक्षण	-	-
ग. किराया, दर और कर	सूची के 63,39,145.00	52,43,360.00
घ. वाहन परिचालन और अनुरक्षण व्यय	सूची एल 41,04,596.00	22,14,437.00
ड. डाक, टेलिफोन और संचार प्रभार	सूची एम 2,49,762.00	22,45,501.00
च. मुद्रण तथा लेखन सामग्री	-	-
छ. यात्रा और वाहन खर्च	सूची एन 30,06,705.00	8,14,320.00
ज. वेब डिजाईन और विकास व्यय	-	-
झ. अभिदान व्यय	-	-
ञ. लेखापरीक्षकों का पारिश्रामिक	-	-
ट. कार्यालय व्यय, कम्प्यूटर, पेंट्री, एएमसी प्रभार, जलपान, पुस्तके	सूची पी 1,03,29,010.00	2,36,76,582.63
ठ. व्यावसायिक प्रभार	सूची ओ 69,19,609.00	-55,76,159.00
ड. विज्ञापन और प्रचार	-	-
ढ. अन्य (जनशक्ति, हाऊसकिपिंग और सुरक्षा, कार्यालय व्यय आदि)	सूची क्यू 75,43,843.00	19,70,086.00
<b>कुल</b>	<b>3,84,92,670.00</b>	<b>3,05,88,127.63</b>

अनुसूची 22	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
<b>अनुदान/सहायिकी आदि पर व्यय</b>		
क) संस्थाओं/संगठनों को दिया गया अनुदान	-	-
ख) संस्थाओं/संगठनों को दी गई सहायिकी	-	-
<b>कुल</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

अनुसूची 23	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
<b>ब्याज</b>		
क) सावधि ऋणों पर	-	-
ख) अन्य ऋणों पर (बैंक प्रभार सहित)	-	-
ग) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	-	-
<b>कुल</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

अनुसूची 23 ए	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
<b>पूर्व अवधि अन्य व्यय</b>		
क) एमटीएनएल प्रावधान	3,91,648.00	-
ख) टीडीएस प्रावधान	3,95,226.00	-
<b>कुल</b>	<b>7,86,874.00</b>	<b>-</b>



महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां  
लेखों पर आकस्मिक देयताएं और टिप्पणियां

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

\*\*\*\*\*

31.03.2017 को समाप्त वर्ष के खातों के हिस्से की अनुसूची

अनुसूची -24 - महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. लेखा रूपांतरण

वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परम्परा के आधार पर तैयार किए जाते हैं, जब तक अन्यथा लेखांकन की प्रोद्घवन विधि पर कहा नहीं गया हो।

2. वस्तु सूची मूल्यांकन

लागू नहीं

3. निवेश

लागू नहीं

4. उत्पाद शुल्क

लागू नहीं

5. अचल परिसंपत्ति

5.1 सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान में से अचल परिसंपत्तियां खरीदी जाती हैं। लेखा मानक 12 के अनुसार, ऐरा आय और व्यय के खाते में विशेष रूप से पूंजीगत परिसंपत्तियों की खरीद के लिए और अचल संपत्तियों की खरीद पर तदनुसूची व्यय के लिए सरकार से प्राप्त अनुदानों को सीधे अंतरित करता है। आय और व्यय खाते पर शून्य प्रभाव पड़ता है क्योंकि पूंजीगत संपत्ति के लिए व्यय और समतुल्य अनुदान उसी वर्ष में लगाया जाता है।

5.2 गैर-मौद्रिक अनुदान के रूप में प्राप्त अचल परिसंपत्ति को (कॉर्पस निधि के लिए छोड़कर) पूंजीगत निधि के लिए तदनुसार क्रेडिट द्वारा कथित मूल्य पर पूंजीकृत किया जाता है।

6. मूल्यहास

6.1 सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान में से खरीदी गई परिसंपत्ति पर कोई मूल्यहास प्रभारित नहीं किया जाता।

6.2 आयकर की दरों के अनुसार गैर-मौद्रिक अनुदानों के रूप में प्राप्त अचल परिसंपत्ति पर मूल्यहास प्रभारित किया जाता है और तदनुसूची अनुदान को पूंजी आरक्षित खातों में से आय और व्यय खाते में डाला जाता है। 5,000/- रुपए या इससे कम की लागत की परिसंपत्ति का अधियहण के वर्ष में ही पूरी तरह से मूल्यहास किया जाता है।

7. विविध व्यय

शून्य

8. बिक्री के लिए लेखांकन

लागू नहीं

9. सरकारी अनुदान / सब्सिडी

9.1 परियोजना की स्थापना की पूंजी लागत के लिए योगदान के रूप में सरकारी अनुदान पूंजी आरक्षित के रूप में माना जाता है।

9.2 अधियहित की गई विशिष्ट अचल परिसंपत्ति के संबंध में अनुदान संबंधित परिसंपत्ति की लागत से कटौती के रूप में दर्शाया जाता है।

9.3 सरकारी अनुदान/सब्सिडी प्राप्ति के आधार पर लेखांकित की जाती है।





## 10. विदेशी मुद्रा लेन देन

10.1 विदेशी मुद्रा में किए गए लेन-देन, मुद्रा लेन-देन की तारीख पर प्रचलित विनिमय दर पर किए जाते हैं।

10.2 वर्तमान परिसंपत्तियाँ, विदेशी मुद्रा ऋणों और मौजूदा देनदारियों को कथित वित्तीय वर्ष की 31 मार्च को प्रचलित विनिमय दर पर परिवर्तित करते हैं। अचल परिसंपत्ति से संबंधित परिणामी लाभ/हानि को अचल परिसंपत्ति की लागत से समायोजित किया जाता है और अन्य मामलों में राजस्व से समायोजित किया जाता है।

## 11. पन्ना(लीज़)

11.1 लीज़ डीड एयर इंडिया से की गई है और दिनांक 6 अगस्त, 2013 के एफ संख्या ऐरा/10015/आफिस रेंट एयर इंडिया/2012 द्वारा जारी की गई।

## 12. सेवानिवृत्ति लाभ

12.1 प्राधिकरण में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को विभिन्न सरकारी संगठनों से प्रतिनियुक्ति पर लिया गया है। एफ.आर. 115(क) और 115(ख) के उपबंधों के अनुसार इन अधिकारियों /कर्मचारियों से संबंधित छुट्टी वेतन अंशदान और पेंशन अंशदान तैयार कर लिया गया है और वित्त वर्ष 2016-17 तक इसकी अदायगी भी कर दी गई है। इस राशि को बाद में प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारियों/कर्मचारियों के मूल संगठनों के संबंधित अधिकारियों को भेज दिया गया है।

12.2 अध्यक्ष, प्राधिकरण के सदस्य और सरकारी कर्मचारी जो दिनांक 1.1.2004 को या उसके बाद सरकारी सेवा में आए हैं वे नई पेंशन योजना के अंतर्गत सरकारी अंशदान के पात्र हैं। ऐसे पात्र अधिकारियों के लिए नई पेंशन योजना के अंतर्गत सरकारी अंशदान की मार्च, 2017 तक अदायगी कर दी गई है।



स्थान : नई दिल्ली

५५॥

पूजा जिंदन  
सचिव

(स) एम. न. थन

एस मचेन्द्रनाथन  
अध्यक्ष

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

\*\*\*\*\*

31.03.2017 को समाप्त वर्ष के खातों के हिस्से की अनुसूची  
अनुसूची 25 - खातों पर आकास्मिक देनदारियां और टिप्पणियां

1. <u>आकस्मिक देयताएं</u>	शून्य	
2. <u>पूंजी प्रतिबद्धताएं</u>	शून्य	
3. <u>लीज दायित्व :</u>	लीज किराए को अंतिम रूप दिया गया है।	
4. <u>वर्तमान परिसंपत्ति ऋण और अग्रिम:</u>	<p>प्रबंधन के विचार में वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिमों का मूल्य साधारण कारबार के क्रम में प्राप्त किया जाने वाला मूल्य होता है और यह बैलेंस शीट में दर्शायी करार की गई राशि के लगभग बराबर होता है।</p>	
5. <u>कराधान:</u>	<p>आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन कोई भी आय कर योग्य नहीं है, इसलिए आयकर के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है।</p>	
6. <u>विदेशी मुद्रा लेन-देन</u>	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
6.1 <u>सीआईएफ आधार पर हिसाब लगाए गए आयातों का मूल्य</u>	शून्य	शून्य
6.2 <u>विदेशी मुद्रा में खर्च</u>		
क) यात्रा	शून्य	शून्य
ख) वित्तीय संस्थानों/बैंकों को विदेशी मुद्रा में प्रेषण और ब्याज की अदायगी	शून्य	शून्य
ग) अन्य व्यय	शून्य	शून्य
-बिक्री पर कमीशन	शून्य	शून्य
-कानूनी और व्यावसायिक खर्च	शून्य	शून्य
-विविध व्यय	शून्य	शून्य
6.3 <u>आय:</u>		
एफओबी पर निर्यात का मूल्य	शून्य	शून्य
7. <u>लेखा परीक्षकों को फीस:</u>		
लेखा परीक्षकों के लिए	1,10,000.00	1,10,000.00
-कराधान मामले		
-प्रबंधन सेवाओं के लिए	-	-
-प्रमाणीकरण के लिए		
अन्य	शून्य	शून्य





8. संलग्न की गई अनुसूची 1 से 25 तक दिनांक 31.3.2017 को समाप्त वर्ष की बैलंस शीट और उसी तारीख को समाप्त आय और व्यय के खाते का अविभाज्य भाग हैं।
9. पिछले वर्ष की रकमों का आवश्यकतानुसार पुनः ग्रुप बनाया गया और पुनःव्यवस्थित किया गया है।



स्थान : नई दिल्ली

पूजा

पूजा जिंदल  
सचिव

एस.एम. नीथन

एस मचेन्द्रनाथन  
अध्यक्ष

**दिनांक 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (ऐरा) के लेखों पर भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक का पृथक लेखापरीक्षा (ऑडिट) प्रतिवेदन।**

\*\*\*\*\*

हमने भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 के नियम 35(2) के साथ पठित नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के तहत दिनांक 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (ऐरा) की संलग्न बैलेंस शीट और आय/व्यय का लेखा/प्राप्तियां तथा अदायगियों का लेखा का ऑडिट किया है। इन वित्तीय विवरणों की जिम्मेदारी ऐरा प्रबंधन की है। हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपने विचार देने की है।

2. पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सर्वश्रेष्ठ लेखा पद्धतियों, लेखा के मानदंडों और प्रस्तुत करने के मानदंडों आदि के अनुरूप वर्गीकरण के संबंध में केवल लेखा प्रणालियों पर भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सीएंडएजी) की टिप्पणियां हैं। कानून, नियमों और विनयमों (औचित्य और उपयुक्तता) और कार्यकुशलता तथा कार्यनिष्पादन के पहलुओं आदि, यदि कोई हो, के अनुपालन के संबंध में वित्तीय लेन-देनों पर लेखापरीक्षा की टिप्पणियां अलग से निरीक्षण/रिपोर्टों/सीएजी की लेखापरीक्षा रिपोर्टों में दी जाती हैं।

3. हमने भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखापरीक्षण मानदंडों के अनुरूप अपनी लेखा परीक्षा की है। इन मानदंडों में यह आश्वासन प्राप्त करने के लिए हमने लेखा परीक्षा की योजना बनायी है और लेखा परीक्षा की है कि क्या इन वित्तीय ब्यौरों में कोई बड़ी कमी मैट्रियल मिसस्टेटमेंट तो नहीं है। इसमें जांच के आधार पर परीक्षण, राशियों के समर्थन में कागजात तथा वित्तीय ब्यौरों की लेखा परीक्षा शामिल है। इस लेखा परीक्षा में प्रयुक्त लेखा सिद्धांतों का मूल्यांकन और प्रबंधन द्वारा किए आकलनों तथा वित्तीय ब्यौरों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी शामिल है। हम यह मानते हैं कि हमारे विचार, हमारे द्वारा किए गए लेखा परीक्षा के आधार पर हैं।

4. अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर, हम रिपोर्ट देते हैं:

- (i) हमने सभी प्रकार की जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारी जानकारी के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के उद्देश्य के लिए आवश्यक हैं।
- (ii) रिपोर्ट के लिए देखी गई बैलेंस शीट और आय और व्यय का लेखा/प्राप्ति और अदायगी का लेखा वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित स्वरूप में ही रखा गया है।
- (iii) हमारी राय में, ऐसी लेखा बहियों की हमारे द्वारा की गई जांच से स्पष्ट होता है कि ऐरा अधिनियम, 2008 के सैक्शन 35(1) के अंतर्गत दिए गए अपेक्षित रूप से ऐरा द्वारा लेखा बहियों और अन्य संबंध रिकॉर्ड का रखरखाव किया गया।
- (iv) हम आगे रिपोर्ट देते हैं कि:



**लेखे पर टिप्पणियां :**

**क. बैलंस शीट**

कॉर्पोस/पूँजी निधि और देनदारियां :

वर्तमान देनदारियां और प्रावधान (अनुसूची-7)- 2.58 करोड़ रुपए

इसमें 9.76 करोड़ रुपए की देनदारियां शामिल नहीं हैं। जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है:

- क) वर्ष 2010-11 से 2016-17 के दौरान ऐरा द्वारा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के कर्मचारियों से ली गई सेवाओं के लिए 9.57 करोड़ रुपए के स्थापना खर्च (वेतन, मजदूरी और अन्य लाभ)।

इसके परिणाम स्वरूप 8.31 करोड़ रुपए पूर्व अवधि स्थापना व्यय में और वर्ष 2016-17 के लिए स्थापना व्यय में 1.26 करोड़ रुपए की राशि कम दिखाई गई है। इस मुद्दे को वर्ष 2013-14, 2014-15 और 2015-16 के लिए भी ऐरा के लेखे की पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट (SAR) में शामिल किया था, परंतु कोई भी सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।

- ख) एयर इंडिया से लीज पर ली गई कार्यालय की जगह के लिए देय किराया 0.19 करोड़ रुपए है।

इस प्रकार 9.76 करोड़ रुपए की देनदारी का प्रावधान नहीं होने के परिणामस्वरूप चालू देयताएं और प्रावधानों में कमी हुई और इसी अनुपात में आय से अधिक व्यय की अधिकता में कमी हुई है।

**ख. सामान्य :**

ऐरा के खातों के प्रारूप से संबंधित नागर विमानन मंत्रालय की दिनांक 16.08.2016 की गजट अधिसूचना के अनुसार कॉर्पोस/पूँजी निधि को नीचे दिए अनुसार दर्शाया जाएगा:-

अनुसूची-1 -कॉर्पोस/पूँजी (कैपिटल) निधि	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
वर्ष के शुरुआत में शेष	....	....	....	....
जोड़ें: कॉर्पोस/पूँजी निधि के लिए अंशदान	....	....	....	....
जोड़ें/(घटाएं): आय और व्यय खातों से अंतरित निवल	....	....	....	....
आय/(व्यय) का शेष	....	....	....	....
वर्ष के अंत में शेष				

तथापि, बैलंसशीट में 2.31 करोड़ रुपए की आय से अधिक व्यय की राशि को कॉर्पोस निधि से काटा नहीं गया था, इसके स्थान पर इसे विविध व्यय के रूप में अलग से दिखाया गया था। इसके परिणामस्वरूप कॉर्पोस/पूँजी निधि के साथ-साथ विविध व्यय 2.31 करोड़ रुपए अधिक हुए।

**ग. सहायता अनुदान :**

वर्ष 2016-17 के दौरान, ऐरा को नागर विमानन मंत्रालय से 4.00 करोड़ रुपए का सहायता अनुदान प्राप्त हुआ। ऐरा के पास 3.11 करोड़ रुपए (वर्ष 2015-16 के लिए 0.58 करोड़ रुपए वेतन शीर्ष के अधीन और 2.53 करोड़ रुपए गैर वेतन शीर्ष के अधीन) के अप्रयुक्त अनुदान का अथ शेष (Opening Balance) था। 7.11 करोड़ रुपए (4.00 करोड़ रुपए + 3.11 करोड़ रुपए), के कुल अनुदान में से, ऐरा ने 6.82 करोड़ रुपए खर्च किए और दिनांक 31 मार्च, 2017 को अप्रयुक्त अनुदान के रूप में 0.29 करोड़ रुपए (0.28 करोड़ रुपए वेतनशीर्ष के अधीन और 0.01 करोड़ रुपए गैर वेतनशीर्ष के अधीन) का शेष बचा।

- (v) पूर्ववर्ती पैराग्राफों में की गई हमारी टिप्पणियों के रहते हुए हम रिपोर्ट करते हैं कि बैलेंस शीट और आय और व्यय का लेखा/प्राप्ति और अदायगी का लेखा जिसके आधार पर यह रिपोर्ट तैयार कर ली गई है, खाता बही के अनुसार हैं।
- (vi) हमारे विचार में तथा हमारी जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार लेखा नीतियां तथा लेखे पर टिप्पणियों के साथ पठित उक्त वित्तीय विवरण व उपर्युक्त दर्शित महत्वपूर्ण मामले इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट के संलग्नक में उल्लिखित अन्य मुद्दों के रहते हुए भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखा प्रणालियों के अनुरूप हैं तथा यह सही स्थिति को दर्शाते हैं:-
- क) यह भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण के मामलों से संबंधित दिनांक 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार बैलेंस शीट से संबंधित है।
- ख) यह उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय के लेखे में कमी (deficit) से संबंधित है।

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के लिए और उनकी ओर से

स्थान : नई दिल्ली  
दिनांक : 17 जनवरी, 2018

ह/-  
(नीलेश कुमार साह)  
प्रिंसिपल डॉयरेक्टर ऑफ कॉमर्शियल ऑडिट  
एंड एक्स-ऑफिसिओ मेम्बर, ऑडिट बोर्ड-I,  
नई दिल्ली



वर्ष 2016-17 के लिए भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (ऐरा)  
के लेखे पर पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट के संलग्नक

1	आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता	वर्ष 2016-17 के दौरान आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई थी।
2	आंतरिक नियंत्रण प्रणाली	आंतरिक नियंत्रण प्रणाली संगठन के आकार के अनुरूप थी।
3	अचल परिसंपत्तियों के प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रणाली	टेस्ट चैक के दौरान यह पता चला है कि वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान अचल परिसंपत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था।
4	वस्तु सूची (इनवेंट्री) के प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रणाली	कोई भी वस्तु सूची नहीं थी।
5	सांविधिक देयताओं की अदायगी में नियमितता	सांविधिक देय समय पर अदा किए गए थे।

दिनांक 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (ऐरा) के लेखे पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सीएंडएजी) के पृथक लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन पर प्रबंधन का उत्तर।

\*\*\*\*\*

पैरा सं.	नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणी	प्राधिकरण का उत्तर
क	तुलन-पत्र (बैलंस शीट) कॉर्पस/पूँजी निधि और देनदारियां: वर्तमान देनदारियां और प्रावधान (अनुसूची-7) - 2.58 करोड़ रूपए	
एचएम सं. 5	<p>इसमें 9.76 करोड़ रूपए की देनदारियां शामिल नहीं हैं। जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है:</p> <p>क) वर्ष 2010-11 से 2016-17 के दौरान ऐरा द्वारा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के कर्मचारियों से ली गई सेवाओं के लिए 9.57 करोड़ रूपए के स्थापना खर्च (वेतन, मजदूरी और अन्य लाभ)।</p> <p>इसके परिणाम स्वरूप 8.31 करोड़ रूपए पूर्व अवधि स्थापना व्यय में और वर्ष 2016-17 के लिए स्थापना व्यय में 1.26 करोड़ रूपए की राशि कम दिखाई गई है। इस मुद्दे को वर्ष 2013-14, 2014-15 और 2015-16 के लिए भी ऐरा के लेखे की पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट (SAR) में शामिल किया था, परंतु कोई भी सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।</p>	<p>प्राधिकरण एक नव निर्मित संगठन है और इसका मुख्य कार्य टैरिफ विनियमन है जो विशेष कार्य है। चूंकि कि एएआई कर्मिकों को टैरिफ निर्धारण का अनुभव है, इसलिए नागर विमानन मंत्रालय ने दिनांक 13-05-2009 के अपने पत्र में यह निर्णय किया था कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से अधिकारियों/स्टाफ को ऐरा में प्रारंभ में छह महीने की अवधि के लिए टैरिफ निर्धारण के लिए लोन आधार पर पोस्ट किया जाए, जिसे बाद में जून, 2011 तक बढ़ा दिया गया था। प्राधिकरण पूरी तरह से नागर विमानन मंत्रालय के बजट के तहत अनुदान सहायता के माध्यम से वित्त पोषित है और आय का कोई अन्य स्रोत नहीं है। इस प्रकार ऐरा के पास एएआई को जनशक्ति की लागत की प्रतिपूर्ति करने के लिए पर्याप्त निधियां नहीं हैं। तदनुसार एक प्रस्ताव पहले ही नागर विमानन मंत्रालय को एएआई से लोन के आधार पर जनशक्ति नियुक्त करने के लिए और वास्तविक आधार पर एएआई को जनशक्ति की लागत की प्रतिपूर्ति करने के लिए अनुमोदन प्राप्त करने के लिए भेजा जा चुका है। परंतु अभी तक नागर विमानन मंत्रालय से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। सरकार द्वारा प्रस्ताव पर सहमत हो जाने पर और अतिरिक्त निधि प्रदान किए जाने पर प्राधिकरण भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) को ऐरा में काम कर रही उसकी जनशक्ति की लागत की प्रतिपूर्ति करेगा। ऐसे समय तक प्राधिकरण की खाता बही में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के कर्मचारियों के लिए वेतन आदि का प्रावधान करने से प्राधिकरण का अतिरिक्त बजटीय घाटा होगा और इसकी अग्रगण्य (Carryover) देनदारियां बढ़ जाएंगी।</p>



एचएम सं. 9	<p>ख) एयर इंडिया से लीज पर ली गई कार्यालय की जगह के लिए देय किराया 0.19 करोड़ रुपए है।</p> <p>इस प्रकार 9.76 करोड़ रुपए की देनदारी का प्रावधान नहीं होने के परिणामस्वरूप चालू देयताएं और प्रावधानों में कमी हुई और इसी अनुपात में आय से अधिक व्यय की अधिकता में कमी हुई है।</p>	देनदारियाँ और प्रावधान के लिए प्रावधानों में लीज पर जगह के लिए प्रावधान अनजाने में नहीं किए गए। इसे सही किया जाएगा।																									
ख.	सामान्य																										
एचएम सं. 2	<p>ऐरा के खातों के प्रारूप से संबंधित नागर विमानन मंत्रालय की दिनांक 16.08.2016 की गजट अधिसूचना के अनुसार कॉर्पस/पूजी निधि को नीचे दिए अनुसार दर्शाया जाएगा:-</p> <table><tr><th>अनुसूची-I-कॉर्पस/पूजी (कैपिटल) निधि</th><th colspan="2">वर्तमान वर्ष</th><th colspan="2">पिछला वर्ष</th></tr><tr><td>वर्ष के शुरुआत में शेष</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td></tr><tr><td>जोड़ें: कॉर्पस/पूजी निधि के लिए अंशदान</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td></tr><tr><td>जोड़ें/(घटाएं): आय और व्यय खातों से अंतरित निवल आय/(व्यय) का शेष</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td></tr><tr><td>वर्ष के अंत में शेष</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <p>तथापि बैलेंसशीट में 2.31 करोड़ रुपए की आय से अधिक व्यय की राशि को कॉर्पस निधि से काटा नहीं गया था, इसके स्थान पर इसे विविध व्यय के रूप में अलग से दिखाया गया था। इसके परिणामस्वरूप कॉर्पस/पूजी निधि के साथ-साथ विविध व्यय 2.31 करोड़ रुपए अधिक हुए।</p>	अनुसूची-I-कॉर्पस/पूजी (कैपिटल) निधि	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष		वर्ष के शुरुआत में शेष	...	...	...	...	जोड़ें: कॉर्पस/पूजी निधि के लिए अंशदान	...	...	...	...	जोड़ें/(घटाएं): आय और व्यय खातों से अंतरित निवल आय/(व्यय) का शेष	...	...	...	...	वर्ष के अंत में शेष					लेखापरीक्षा की टिप्पणी नोट कर ली है और प्राधिकरण नागर विमानन मंत्रालय की दिनांक 16.08.2016 की गजट अधिसूचना द्वारा अधिसूचित फॉर्मेट के अनुसार वार्षिक लेखा विवरण 2017-18 प्रस्तुत करने का भरसक ध्यान रखेगा।
अनुसूची-I-कॉर्पस/पूजी (कैपिटल) निधि	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष																								
वर्ष के शुरुआत में शेष	...	...	...	...																							
जोड़ें: कॉर्पस/पूजी निधि के लिए अंशदान	...	...	...	...																							
जोड़ें/(घटाएं): आय और व्यय खातों से अंतरित निवल आय/(व्यय) का शेष	...	...	...	...																							
वर्ष के अंत में शेष																											
ग	सहायता अनुदान:																										
एचएम सं. 10	<p>वर्ष 2016-17 के दौरान, ऐरा को नागर विमानन मंत्रालय से 4.00 करोड़ रुपए का सहायता अनुदान प्राप्त हुआ। ऐरा के पास 3.11 करोड़ रुपए (वर्ष 2015-16 के लिए 0.58 करोड़ रुपए वेतन शीर्ष के अधीन और 2.53 करोड़ रुपए गैर वेतन शीर्ष के अधीन) के अप्रयुक्त अनुदान का अथ शेष (Opening Balance) था। 7.11 करोड़ रुपए (4.00 करोड़ रुपए + 3.11 करोड़ रुपए), के कुल अनुदान में से, ऐरा ने 6.82 करोड़ रुपए खर्च किए और दिनांक 31 मार्च, 2017 को अप्रयुक्त अनुदान के रूप में 0.29 करोड़ रुपए (0.28 करोड़ रुपए वेतनशीर्ष के अधीन और 0.01 करोड़ रुपए गैर वेतनशीर्ष के अधीन) का शेष बचा।</p>	प्रस्तुत आंकड़े सही हैं और उनकी पुष्टि कर ली है।																									

पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट के संलग्नक		
1.	आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता: वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान कोई आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई। (एचएम न.11)	प्राधिकरण में अधिकारियों की कमी के कारण वित्त वर्ष 2016-17 के लिए आंतरिक लेखा परीक्षा नहीं की गई थी। इसे चालू वित्त वर्ष अर्थात 2017-18 में किया जाएगा।
2.	आंतरिक नियंत्रण प्रणाली: आंतरिक नियंत्रण प्रणाली संगठन के आकार के अनुरूप है।	ऐरा में सीमित कर्मचारियों के साथ प्राधिकरण ने आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को सही तरह से रखने की कोशिश करी।
3.	अचल परिसंपत्तियों के प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रणाली: टेस्ट चैक के दौरान यह पता चला है कि वित्त वर्ष 2016 -17 के दौरान अचल परिसंपत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया था। (एचएम न.11)	प्राधिकरण में अधिकारियों की कमी के कारण परिसंपत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन वित्त वर्ष 2016-17 के लिए नहीं किया गया था। इसे चालू वित्तीय वर्ष में किया जाएगा।
4.	वस्तु सूची (इनवेंट्री) के प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रणाली: कोई भी वस्तु सूची नहीं थी।	चूंकि प्राधिकरण में किसी वस्तु सूची की मदों को नहीं रखा जाता इसलिए प्राधिकरण में किसी वस्तु सूची का रखरखाव नहीं किया जा रहा है।
5.	सांविधिक देयताओं की अदायगी में नियमितता: सांविधिक देय समय पर अदा किए गए थे।	प्राधिकरण बजट से किए गए भुगतानों पर कर काट रहा है और केंद्र सरकार के पास जमा करता है। खाता बही में जमा राशियों का आम तौर पर अप्रैल के महीने में भुगतान किया जाता है और मई के पहले हफ्ते में केंद्र सरकार के पास जमा किया जा रहा है। कर की राशि जो अभी तय की जानी है उसकी भुगतान के समय कटौती की जाती है और तदनुसार जमा किया जाता है।

.....



**वार्षिक लेखा विवरण**  
**ANNUAL STATEMENT OF ACCOUNTS**

**2016 - 2017**







# Airports Economic Regulatory Authority of India (AERA)

## Annual Report 2016 – 17

### 1. Introduction

Consequent to the recommendations of Sh. Naresh Chandra Committee report, Govt. Of India established Airports Economic Regulatory Authority (AERA). It is a statutory body constituted under the Airports Economic Regulatory Authority of India Act, 2008. The AERA was established by the Government vide its notification No GSR 317 (E) dated 12.05.2009 with its Head Office at New Delhi.

### 2. Profile of the Authority's Members

#### (a) **Shri S. Machendranathan, Chairperson**

Shri S. Machendranathan took over as Chairperson, Airports Economic Regulatory Authority of India on 9<sup>th</sup> March, 2015.

Shri Machendranathan who hails from Tirunelveli District, Tamil Nadu, had a distinguished academic career. After completing MBA from Cochin University, he joined the Indian Police Service (IPS) in 1977 and thereafter the Indian Administrative Service (IAS) in 1979.

An IAS officer of the Tamil Nadu cadre, Shri S. Machendranathan held several important positions in the Government of Tamil Nadu and in the Government of India. In the Government of Tamil Nadu, he worked as Collector of Thanjavur District; Commissioner/ Secretary to the Government of Tamil Nadu in the Departments of Transport, Food, Cooperation and Consumer Protection; Chairman of Tamil Nadu Electricity Board. And in the Government of India, he worked as Chairman of Tuticorin Port Trust; Additional Secretary & Financial Advisor in the Ministry of Steel as well as in the Ministry of Civil Aviation and finally as Secretary (Coordination) in Cabinet Secretariat, before superannuating from the Government Service in March, 2014.

He has also served as Government Director in several Public Sector companies such as Air India, Airports Authority of India, Steel Authority of India Limited, Rashtriya Ispat Nigam Limited, Kudremukh Iron Ore Company Limited and Metallurgical & Engineering Consultants (India) Limited.

#### (b) **Shri Shankar Narayanaswamy, Member**

Shri N. Shankar took over as Member, AERA on 27<sup>th</sup> October, 2016. He was the Executive Director of Export-Import Bank of India (Exim Bank) for over six years. Shri Shankar was the Chairman-cum-Managing Director of ECGC Ltd. (formerly Export Credit Guarantee Corporation of India Ltd.), in Additional Secretary Grade of Central Government on deputation, from Exim Bank for 3 years from October 2011 to October 2014 and during the same period he was a Director of Exim Bank. Mr. Shankar has put in over 39 years of varied experience in financial sector comprising 6 years in Indian Public sector banks and over 30 years in Exim Bank and 3 years in ECGC Ltd. He has been with Exim Bank since the inception of the Institution. Shri Shankar has top level experience in term lending, international trade financing and export credit insurance. Shri Shankar's specialization and experience encompass corporate credit, SME credit, raising funds in

domestic/international markets, export credit insurance, integrated treasury, risk management, MIS, IT, corporate accounts and regulatory compliances.

Shri Shankar, a Mathematics Rank holder in graduation from Madras University is a Certified Associate of Indian Institute of Bankers (CAIIB) and a Chartered Financial Analyst (CFA) from ICFAI.

Shri Shankar was involved in Institution building in challenging times. His proven expertise includes negotiation skills, framing policies and procedures, implementation of robust systems and controls, shaping and implementing new initiatives especially in Brand Building, Human Resources Management, Information Technology and expanding network of Offices in India.

### (c) **Shri Subrata Samanta, Member**


Shri S. Samanta took over charge as Member, AERA on 17<sup>th</sup> November, 2016. He holds a degree in Commerce from Kolkata University and is a Member of the Institute of Chartered Accountant of India.

Prior to joining AERA, Shri S. Samanta was working as Executive Director (JVC/Tariff) in Airports Authority of India(AAI). He joined AAI in 1985 and during his tenure in AAI has held many responsible positions in the Departments of Finance & Commercial. He was also In-charge of Tariff Division and Joint Venture Monitoring Cell in AAI.

Shri Samanta started his career in 1985 in AAI and has 32 years of experience in the Aviation field. He has rich experience and exposure in Financial Management in Airport Sector, Tariff determination of airports and PPP project monitoring in the Airport Sector.

### 3. **Organisational structure**

Organisation structure of the Authority is given below:





AERA's staff comprises of people with experience in the aviation sector, finance sector etc. and are on deputation from various Central, State Services & departments/ organizations. As on March 31, 2017, AERA had a total strength of 17 employees.

#### 4. **Scope of the Regulation**

The main functions of the Authority as defined in the Act are as under:-

- To determine the tariff for the aeronautical services
- To determine the amount of Development Fees in respect of Major Airports
- To determine the amount of PSF levied under rule 88 of the Aircraft Rules, 1937 made under the Aircraft Act, 1934 (22 of 1934)
- To monitor the set performance standards relating to quality, continuity and reliability of service as may be specified by Central Government or any authority authorized by it in this behalf.

AERA determines tariff for all aeronautical services taking into consideration the capital expenditure required to be incurred for improvement of airport facilities, timely investment in these facilities, providing a reasonable return on such investments and the cost for maintaining / improving efficient and economic operations at the airports. The Authority also considers a part of the revenue received from services other than the aeronautical services and takes into account the concession, if any, offered by the Central Government in any agreement or Memorandum of Understanding or otherwise and any other factor relevant for determination of tariff.

#### 5. **New Regulations / Procedures etc. notified / issued**

In June, 2016, the Authority issued an Order prescribing normative approach to building blocks with regard to capital expenditure incurred in the airports. In January, 2017, the Authority amended its guidelines in the matter of regulatory philosophy and approach in economic regulation of Airport Operators to adopt Hybrid Regulatory Till for considering aeronautical / non-aeronautical revenue in line with the National Civil Aviation Policy 2016 (NCAP 2016). In February, 2017, the Authority amended its guidelines with regard to the criteria for computation assessment for ground handling services in line with the provisions of NCAP 2016 of the Government of India. In March, 2017, the "Authority issued an order allowing concession to Regional Connectivity Scheme (RCS) – Udan at major airports".

#### 6. **Orders passed by the Authority**

During the financial year, the Authority passed 16 orders as under:

S. No.	Date	Particulars
1.	08.04.2016	Tariff for Ground Handling Services by IndoThai Airport Management Services Pvt. Ltd. (ITAMS) at Jaipur and Lucknow airports for the control period with effect from 01.05.2016.

2.	08.04.2016	Tariff for Cargo and Ground Handling Services by Air India at Major Airports for the 2nd Control Period.
3.	08.04.2016	Tariff for GMAX services by M/s Kale Logistics Solutions Private Limited (Kale Logistics) at Mumbai Airport for the control period effective from 01.04.2016.
4.	22.04.2016	Tariff for Domestic Operations by Airports Authority of India at Ahmedabad Airport - Ad-hoc Tariff for the year 2015-16
5.	16.05.2016	Tariff for Ground Handling Services by M/s IndoThai Airport Management Services Pvt. Ltd. (ITAMS) at Jaipur and Lucknow Airports Interim Arrangement for the Second Control Period commencing 1 <sup>st</sup> April, 2016.
6.	31.05.2016	Tariff for Mumbai Airport operated by MIAL - Continuation of existing tariffs beyond 31.05.2016.
7.	22.06.2016	Tariff for Cargo and Ground Handling Services by Air India at Major airports for the 2nd Control Period.
8.	23.08.2016	Tariff for Cargo and Ground Handling services by Air India at Major airports for the 2nd Control Period.
9.	26.09.2016	Tariff for GMAX EDI services by M/s Kale Logistics Solutions Private Limited (Kale) at Mumbai Airport with reference to AERAAT order dated 24.04.2016.
10.	29.09.2016	Tariff for Aeronautical services provided by Airport Operators / Service Providers of Cargo facility, Ground Handling and Supply of Fuel to the aircrafts - Interim Arrangement to continue the levy of existing tariffs till determination of tariffs for the Second Control Period.
11.	29.09.2016	Tariff for Mumbai Airport -Continuation of existing tariff beyond 30.09.2016.
12.	29.09.2016	Tariff for Mumbai Airport – Continuation of existing tariff beyond 30.09.2016.
13.	14.02.2017	Tariff for Cargo Handling Services by M/s Celebi Delhi Cargo Terminal Management India Pvt. Limited (CELEBI) at New Delhi Airport for 1 <sup>st</sup> year of Second Control Period.
14.	27.03.2017	Tariff for Chandigarh Airport for the First Control Period.
15.	28.03.2017	Tariff for Cargo Handling Services in Bangalore Airport by M/s Menzies Cargo Handling Services for the 1st tariff year of the Second Control Period.
16.	31.03.2017	Tariff for Aeronautical services provided by Airport Operators/Service Providers of Cargo facility, Ground Handling and Supply of Fuel to the aircrafts - Interim Arrangement to continue the levy of existing tariff till determination of tariffs for 2 <sup>nd</sup> Control Period.



## 7. Directions

1.	No. 08/2016-17 dated 31.03.2017	The Authority issued a CP in the matter of Capping the percentage of Royalty / Revenue Share payable to Airport Operator as a "Pass Through" Expenditure for the Independent Service Providers providing Cargo facility, Ground Handling and Supply of Fuel to the Aircraft at Major airports.
----	------------------------------------	--

## 8. Monitoring of Performance Standards

The Authority is currently relying on the ratings given by various agencies appointed by the Airport Operators to monitor the performance standards at the airports. The Authority is in the process of framing an objective, transparent procedure for better assessment of the performance standards.

## 9. Stakeholders Consultations

The Authority issued 6 Consultation Papers for Stakeholders Consultation during FY 2016-17:

S. No.	Date	Subject
1.	20.12.2016	Tariff for Cargo Handling Services by M/s Celebi Delhi Cargo Terminal Management India Pvt. Limited (Celebi) at New Delhi Airport for the Second Control Period.
2.	14.02.2017	Tariff for Chandigarh Airport for the First Control Period.
3.	16.02.2017	Tariff for Into Plane Services by M/s Bharat Stars Service Private Limited (BSSPL) at Bangalore Airport for the Second Control Period.
4.	16.02.2017	Tariff for Cargo Handling Services by M/s Delhi Cargo Service Center India Pvt. Limited (DCSC) at New Delhi Airport for the Second Control Period
5.	16.02.2017	Tariff for providing Cargo Handling Services by M/s Menzies Aviation Bobba (Bangalore) Pvt. Limited at Bengaluru Airport for the Second Control Period.
6.	28.03.2017	Tariff for Trivandrum Airport operated by AAI for the Second Control Period.

**10. Appeals:**

(a) During the FY 2016-17, seven appeals were filed in AERAAT:

S.No.	Appeal No.	Case Title	Particular of Orders/ Direction of the Authority under Challenge	Date of filling
1	4/2016	DIAL Vs UOI & Ors (AAI & AERA)	Against order on Normative approach to capital expenditure at Major airports	13.07.2016
2	5/2016	GMR HIAL Vs UOI & Anr (AERA)	Against order on Normative approach to capital expenditure at Major Airports	13.07.2016
3	6/2016	MIAL Vs AERA & Ors (UOI & AAI)	Against order on Normative approach to capital expenditure at Major Airports	13.07.2016
4	7/2016	BIAL Vs AERA & Anr. (UOI)	Against order on Normative approach to capital expenditure at Major Airports	13.07.2016
5	8/2016	Domestic Air Cargo Agents Association of India (DACAAI) & Ors. Vs DCSC & Ors. (UOI & AERA)	Against Order on tariff for Cargo Handling Services at Delhi by M/s DCSC for fourth tariff year of the first control period	10.06.2016
6	9/2016	MIAL Vs AERA & Anr.	Against order on tariff for the 2 <sup>nd</sup> Control Period in respect of Mumbai airport	04.11.2016
7	01/2017	Air Passenger Association of India Vs AERA	Against Order in the matter of aligning certain aspect of AERA's Regulatory Approach (Adoption of Regulatory Till) with the provision of NCAP 2016 approved by the GOI	10.03.2017

(b) Following case was filed in High Court:

S. No.	Writ Petition No.	Case Title	Particular of Orders/ Direction of the Authority under Challenge	Date of filling
1	24891/2016	Air Passenger Association of India (APAI) Vs. UOI & Anr	Writ Petition in the High Court at Hyderabad. AERA is the second respondent in the matter. Writ petition has sought to issue a writ, order or direction declaring collection of UDF as being illegal, arbitrary and contrary to the principles of natural justice.	25.07.2016



## **11. Administrative & Establishment matters**

### **(a) Implementation of Official Language Policy of Government**

Though the Tariff determination by the Authority is technical in nature, all out efforts have been made by AERA to implement the Official Language Policy of the Government during the FY 2016-17. In order to create conducive environment to work in Hindi in AERA, a Hindi Fortnight was organized from 14 to 28 September 2016. Various Hindi competitions were organized during the Hindi fortnight and 21 officers participated in the competitions. Cash awards and merit certificates were given to winning performers. Three Hindi workshops were organized during the FY 2016-17 for the benefit of Officers/employees. 23 officers/employees had attended the workshops. Quarterly meetings of the Official Language Implementation Committee of AERA have been held on regular basis during the financial year chaired by the Chairperson and attended by Members of the Authority. An Hindi Incentive Scheme has been implemented in the Authority to motivate the officers/employees to do maximum work in Hindi. Overall, Hindi correspondences reached the level of 68.72%, 55.56% and 55% in "A", "B" and "C" regions respectively during the FY 2016-17.

### **(b) Women Welfare including Gender Budgetary Data**

There are 15 Women employees including officers/officials on deputation and those on loan basis from AAI and outsourced staff. Adequate women welfare amenities have been made available in the office premises.

### **(c) Public Grievance Redressal Machinery**

The Authority is registered with the Public Grievances portal of Department of Administrative Reforms & Public Grievances and grievances are addressed within the stipulated time.

### **(d) Pollution Control**

The Authority encourages environmental friendly measures in Airports such as use of solar/ renewable energy, recycling of water etc.

### **(e) SC/ST and OBC representation as on 31.03.2017**

The Authority recruits officials/ officers on deputation basis only and hence reservation policy is not directly applicable. However, officials belonging to SC and OBC categories are working in AERA.

### **(f) Procedure for Appointment of Consultants**

During 2016-17, NIT was issued for engagement of consultants to assist the Authority in determination of Tariffs for major Airports and Independent Service Providers (ISPs). Through open advertisement four (04) consultants namely Ernst & Young, PKF Sridhar, Deloitte & KPMG were engaged as Consultants.

## 12. Budget & Accounts

### (a) Funding structure

AERA receives its funding through Grants-in-Aid from Government. During the FY 2016-17, a sum of Rs.4.00 crores was received by AERA through the Ministry of Civil Aviation. AERA does not levy or collect any fee / charges for its services.

## 13. Regulatory Advocacy and protection of interest of users

The Authority officials participate in seminars / workshops to disseminate information on the functions and activities of the regulatory philosophy of AERA. The Chairperson also actively participates in the Forum of Regulators to keep abreast of developments in other Regulatory Authorities.

## 14. Capacity Building

The Authority sends its officers / employees for training / seminar / workshop relevant to its working.

## 15. Accounts & Audit

Income & Expenditure Account for the FY 2016-17 and Balance Sheet as on March 31, 2017 is included in the Annual Report. The Audit Report on the Accounts of the Authority for the FY 2016-17 issued by the Office of C&AG of India is also Annexed.





## AIRPORTS ECONOMIC REGULATORY AUTHORITY OF INDIA

**BALANCE SHEET AS AT 31.03.2017**

			(AMOUNT Rs.)
CORPUS/CAPITAL FUND AND LIABILITIES	SCHEDULE	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
CORPUS / CAPITAL FUND	1	41,75,727.00	41,75,727.35
RESERVES AND SURPLUS	2	-	-
EARMARKED / ENDOWMENT FUND	3	-	-
SECURED LOANS BORROWINGS	4	-	-
UNSECURED LOANS BORROWINGS	5	-	-
DEFERRED CREDIT LIABILITIES	6	-	-
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS	7	2,57,66,557.00	2,79,44,191.00
		2,99,42,284.00	3,21,19,918.35
<b>ASSETS</b>			
FIXED ASSETS	8	18.00	18.00
INVESTMENT-FROM EARMARKED/ENDOWMENT FUND	9	-	-
INVESTMENT-OTHERS	10	-	-
CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES ETC.	11	68,55,636.00	3,21,19,900.35
MISCELLANEOUS EXPENDITURE		-	-
(To the extent not written off or adjusted)		-	-
EXCESS OF EXPENDITURE OVER INCOME	1	2,30,86,630.00	
		2,99,42,284.00	3,21,19,918.35
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	24		
CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS	25		

For G M R & Associates  
Chartered Accountants  
FRN: 024434N

Mohit Gupta  
Partner  
Membership No.: 517283  
Place: New Delhi



On behalf of management

  
S Machendranathan  
Chairperson

  
Puja Jindal  
Secretary

AIRPORTS ECONOMIC REGULATORY AUTHORITY OF INDIA			
INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31.03.2017			
			(AMOUNT Rs.)
	SCHEDULE	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
<b>INCOME</b>			
INCOME FROM SALES / SERVICES	12	-	-
GRANTS / SUBSIDIES	13	4,00,52,674.00	9,51,75,000.00
FEES / SUBSCRIPTIONS	14	-	-
INCOME FROM INVESTMENTS	15	-	-
EARMARKED / ENDOWMENT FUND TRANSFERRED TO FUND		-	-
INCOME FROM ROYALTY ,PUBLICATION ETC.	16	-	-
INTEREST EARNED	17	-	-
OTHER INCOME	18	82,664.00	8,266.00
INCREASE /(DECREASE) IN STOCK FINISHED GOODS AND WORK IN PROGRESS	19	-	-
PRIOR PERIOD WRITTEN BACK	23A	7,86,874.00	
TOTAL (A)		4,09,22,212.00	9,51,83,266.00
<b>EXPENDITURE</b>			
ESTABLISHMENT EXPENSES	20	2,55,16,172.00	2,70,64,470.00
ADMINISTRATIVE EXPENSES	21	3,84,92,670.00	3,05,88,127.63
DEPRECIATION	8	-	-
EXPENDITURE ON GRANTS AND SUBSIDIES	22	-	-
INTEREST	23	-	-
PRIOR PERIOD OTHER EXPENSE			
TOTAL (B)		6,40,08,842.00	5,76,52,597.63
Balance being excess of Expenditure over Income (A-B)		(2,30,86,630.00)	3,75,30,668.37
Transfer to Special Reserve (Specify each)			
a) Provision for Repair & Maintenance		-	-
b) Provision for Electricity		-	-
Transfer to / from General Reserve			
<b>BALANCE BEING SURPLUS /(DEFICIT) CARRIED TO CORPUS /CAPITAL FUND</b>		(2,30,86,630.00)	3,75,30,668.37
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	24		
CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS	25		

For G M R & Associates  
Chartered Accountants  
FRN: 024434N

*Mohit Gupta*  
Mohit Gupta  
Partner  
Membership No.: 517283  
Place: New Delhi



On behalf of management

*S Machendranathan*  
S Machendranathan  
Chairperson

*Puja Jindal*  
Puja Jindal  
Secretary



**AIRPORTS ECONOMIC REGULATORY AUTHORITY OF INDIA**  
**RECEIPTS AND PAYMENTS FOR THE YEAR ENDED 31.03.2017**

RECEIPTS	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	PAYMENTS	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	(AMOUNT Rs.)
<b>I. Opening Balances</b>			<b>I. Expenses</b>			
a) Cash in hand			a) Establishment Expenses	4,33,53,520.00	1,98,71,155.00	
b) Bank Balances			b) Administrative Expenses	2,14,73,963.00	4,16,69,712.63	
i) In current accounts	3,21,19,900.00	32,22,903.38	Less: Prepaid expenses of last year			
ii) In deposit accounts			Less: Advance Adjustment of Airport Authority of India			
iii) Savings accounts						
iv) Imprest money						
<b>II. Grants Received</b>			<b>II. Payment made against funds for various projects</b>			
a) From Government of India	4,00,52,674.00	9,51,75,000.00	(Name of the fund for project should be shown along with the particulars of payments made for each project)			
b) From State Government						
c) From other sources (details)						
(grant for capital & revenue exp						
to be show separately)						
<b>III. Income on Investments from</b>			<b>III. Investments and deposits made</b>			
a) Earmarked/Endow Funds			a) Out of Earmarked/Endowment funds			
b) Own funds (other investment)			b) Out of Own Funds (Investments-Others)			
<b>IV. Interest Received</b>			<b>IV. Expenditure on Fixed Assets &amp; Capital Work -in-progress</b>			
a) On Bank Deposits			a) Purchase of Fixed Assets			
b) Loans/Advances etc.			b) Expenditure on Capital Work-in-progress			
			c) Towards work in progress			
<b>V. Other Income (Specify)</b>	82,664.00	8,266.00	<b>V. Refund of surplus money/Loans</b>			
			a) To the Government of India			
			b) To the State Government			
			c) To the Other providers of fund			
<b>V. Other Receipt (Specify)</b>	0.00	0.00				
Security deposit from Bedi & bedi			<b>VI. Finance Charges</b>			
			a) Bank Charges			37,332.00
<b>VI. Amount Borrowed</b>			b) other charges			
<b>VII. Any other receipts (give details)</b>						
Received from Ministry of Civil Aviation						
for Bank Account opening			<b>VII. Other Payments (Specify)</b>			
			a) Duties and Taxes	54,93,413.00	66,69,233.00	
<b>VIII. Other payables</b>	32,76,577.00	19,61,163.00	<b>VIII. Closing Balances</b>			
			a) Cash in Hand			
			b) Bank Balances	52,10,919.00	3,21,19,900.35	
			i) in current accounts			
			ii) in deposit accounts			
			iii) Savings accounts			
	7,55,31,815.00	10,03,67,332.38		7,55,31,815.00	10,03,67,332.98	

For G M R & Associates  
Chartered Accountants  
FRN: 024434N



Mohit Gupta  
Partner  
Membership No.: 517283  
Place: New Delhi

On behalf of management

*S. Machendranathan*  
S Machendranathan  
Chairperson

*P. Jindal*  
Puja Jindal  
Secretary



AIRPORTS ECONOMIC REGULATORY AUTHORITY OF INDIA		
SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.03.2017		
	(AMOUNT Rs.)	
SCHEDULE 1- CORPUS / CAPITAL FUND	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
Ministry of Civil Aviation List A	-	-
(Towards initial bank a/c opening)	-	-
Balance as at beginning of the year	41,75,727.35	(3,33,54,941.02)
Add : Adjustments to Corpus relating to previous year	-	-
Less : Adjustments to Corpus relating to previous year transferred from the Income and Expenditure Account	(2,30,86,630.00)	3,75,30,668.37
<b>BALANCE AT THE YEAR END</b>	<b>(1,89,10,902.65)</b>	<b>41,75,727.35</b>
SCHEDULE 2- RESERVES AND SURPLUS	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
<b>1. Capital Reserve</b>		
As per last Account	-	-
Addition during the year	-	-
Less : Deduction during the year	-	-
<b>2. Revaluation Reserve</b>		
As per last Account	-	-
Addition during the year	-	-
Less : Deduction during the year	-	-
<b>3. Special Reserve</b>		
As per last Account	-	-
Addition during the year	-	-
Less : Deduction during the year	-	-
<b>4. General Reserve</b>		
As Per last Account	-	-
Addition during the year	-	-
Less : Deduction during the year	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
SCHEDULE 3 - EARMARKED / ENDOWMENT FUNDS	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
a) Opening Balance of Funds	-	-
b) Additions to the Funds	-	-
Total (a+b)	-	-
c) Utilisation of Funds	-	-
Total (C)	-	-
<b>BALANCE AT THE END OF THE YEAR (a+b-c)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Significant Accounting Policies		
Contingent Liabilities and Notes on Accounts		





AIRPORTS ECONOMIC REGULATORY AUTHORITY OF INDIA		
SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.03.2017		
		(AMOUNT Rs.)
<b>SCHEDULE 4 - SECURED LOANS AND BORROWINGS</b>	<b>CURRENT YEAR</b>	<b>PREVIOUS YEAR</b>
1. Central Government	-	-
2. State Government (Specify)	-	-
3. Financial Institutions		
a) Terms Loans	-	-
b) Interest accrued and due	-	-
4. Banks :		
a) Terms Loans	-	-
Interest accrued and due	-	-
b) Other Loans (Specify)	-	-
Interest accrued and due	-	-
5. Other Institutions and agencies	-	-
6. Debentures and bonds	-	-
7. Others (Specify)	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Note : Amount due within one year</b>		
<b>SCHEDULE 5 - UNSECURED LOANS AND BORROWINGS</b>	<b>CURRENT YEAR</b>	<b>PREVIOUS YEAR</b>
1. Central Government	-	-
2. State Government (Specify)	-	-
3. Financial Institutions	-	-
4. Banks :		
a) Terms Loans	-	-
b) Other Loans (Specify)	-	-
5. Other Institutions and agencies	-	-
6. Debentures and bonds	-	-
7. Fixed Deposits	-	-
8. Others (Specify)	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Note : Amount due within one year</b>		
Significant Accounting Policies		
Contingent Liabilities and Notes on Accounts		



<b>AIRPORTS ECONOMIC REGULATORY AUTHORITY OF INDIA</b>		
<b>SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.03.2017</b>		
<b>SCHEDULE 6 - DEFERRED CREDIT LIABILITIES :</b>	<b>CURRENT YEAR</b>	<b>(AMOUNT Rs.) PREVIOUS YEAR</b>
a) Acceptances secured by hypothecation of capital		
Equipment and Assets	-	-
b) Others	-	-
<b>TOTAL</b>	-	-
<b>Note : Amount due within one year</b>		
<b>SCHEDULE 7- CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS</b>	<b>CURRENT YEAR</b>	<b>PREVIOUS YEAR</b>
<b>A) CURRENT LIABILITIES</b>		
1. Acceptances	-	-
2. Sundry Creditors :		
a) For Goods	-	-
b) Others List (D+E)	2,48,67,263.00	2,70,73,777.00
3. Advances Received	-	-
4. Interest accrued but not due on :		
a) Secured Loans/ borrowings	-	-
b) Unsecured Loans/ borrowings	-	-
5. Statutory Liabilities :		
a) Over due	-	-
b) Others	-	-
6. Other Current Liabilities		
a) Duties & Taxes List C	5,99,294.00	8,70,414.00
b) Refundable Security Deposit List B	3,00,000.00	
<b>TOTAL (A)</b>	<b>2,57,66,557.00</b>	<b>2,79,44,191.00</b>
<b>B) PROVISIONS</b>		
1. For Taxation	-	-
2. Gratuity	-	-
3. Superannuation/Pension	-	-
4. Accumulated Leave Encashment	-	-
5. Trade Warranties/Claims	-	-
6. Other ( Specify)	-	-
a) Provision for Repair & Maintenance	-	-
b) Provision for Electricity	-	-
<b>TOTAL (B)</b>	-	-
<b>TOTAL (A+B)</b>	<b>2,57,66,557.00</b>	<b>2,79,44,191.00</b>
Significant Accounting Policies		
Contingent Liabilities and Notes on Accounts		





Depreciation Schedule as Per Income Tax Act as on 31.03.2017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



<b>AIRPORTS ECONOMIC REGULATORY AUTHORITY OF INDIA</b>		
<b>SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.03.2017</b>		
<b>SCHEDULE 9</b>	<b>CURRENT YEAR</b>	<b>(AMOUNT Rs.) PREVIOUS YEAR</b>
<b>INVESTMENTS FROM EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS</b>		
1. In Government Securities	-	-
2. Other approved Securities	-	-
3. Shares	-	-
4. Debentures and bonds	-	-
5. Subsidiaries and joint ventures	-	-
6. Others (to be Specified)	-	-
<b>TOTAL</b>	-	-
<b>SCHEDULE 10</b>	<b>CURRENT YEAR</b>	<b>PREVIOUS YEAR</b>
<b>INVESTMENTS OTHERS</b>		
1. In Government Securities	-	-
2. Other approved Securities	-	-
3. Shares	-	-
4. Debentures and bonds	-	-
5. Subsidiaries and joint ventures	-	-
6. Others (to be Specified)	-	-
<b>TOTAL</b>	-	-
Significant Accounting Policies		
Contingent Liabilities and Notes on Accounts		





AIRPORTS ECONOMIC REGULATORY AUTHORITY OF INDIA		
SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.03.2017		
	(AMOUNT Rs.)	
SCHEDULE 11	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
<b>CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES ETC.</b>		
<b>A.) CURRENT ASSETS</b>		
1. Inventories :		
a) Stores and Spares	-	-
b) Loose Tools	-	-
c) Stock in Trade		
Finished Goods	-	-
Work-in-Progress	-	-
Raw Materials	-	-
2. Sundry Debtors :		
a) Debts Outstanding for a period exceeding Six months	-	-
b) Others	-	-
3. Cash balances in hand (including cheques/drafts and imprest)	-	-
4. Bank Balances :		
a) With Schedule Bank		
On Current Accounts	52,10,919.00	3,21,19,900.35
On Deposit Accounts (includes margin money)	-	-
On Savings Accounts	-	-
b) With non Schedule Bank		
On Current Accounts	-	-
On Deposit Accounts (includes margin money)	-	-
On Savings Accounts	-	-
5. Post Office Savings Accounts	-	-
<b>TOTAL (A)</b>	<b>52,10,919.00</b>	<b>3,21,19,900.35</b>
<b>B.) LOANS, ADVANCES AND OTHER ASSETS</b>		
1. LOANS :		
a) Staff	-	-
b) Other Entities engaged in activities/objectives similar to that of the Entity	-	-
c) Other (Specify)	-	-
2. Advances and other amounts recoverable in cash or in kind for value to be received :		
a) On Capital Account (Airport Authority of India)	-	-
b) Prepayments	-	-
c) prepaid exp. Or Others (NICSI)	-	-
d) Others advance List F	16,44,717.00	-
e) Advance payment for Foreign Tour (Staff)	-	-
3. Income Accrued :		
a) On Investments from Earmarked / Endowment Fund	-	-
b) On Investment - Others	-	-
c) On Loans and Advances	-	-
c) Others (includes income due unrealized Rs.....)	-	-
4. Claim Receivable :	-	-
<b>TOTAL (B)</b>	<b>16,44,717.00</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (A+B)</b>	<b>68,55,636.00</b>	<b>3,21,19,900.35</b>
Significant Accounting Policies		
Contingent Liabilities and Notes on Accounts		





AIRPORTS ECONOMIC REGULATORY AUTHORITY OF INDIA		
<b>SCHEDULES FORMING PART OF INCOME &amp; EXPENDITURE ACCOUNT AS AT 31.03.2017</b>		
<b>SCHEDULE 12</b>	<b>(AMOUNT Rs.)</b>	
	<b>CURRENT YEAR</b>	<b>PREVIOUS YEAR</b>
<b>INCOME FROM SALES / SERVICES</b>		
1. Income from Sales		
a) Sale of Finished Goods	-	-
b) Sale of Raw Material	-	-
c) Sale of Scraps	-	-
2. Income from Services		
a) Labour & Processing Charges	-	-
b) Professional / Consultancy Services	-	-
c) Agency Commission and brokerage	-	-
d) Maintenance Services (Equipment / property)	-	-
e) Other (Specify)	-	-
<b>TOTAL</b>	-	-
<b>SCHEDULE 13</b>	<b>CURRENT YEAR</b>	<b>PREVIOUS YEAR</b>
<b>INCOME GRANTS / SUBSIDIES</b>		
<b>(Irrevocable Grants &amp; Subsidies Received)</b>		
1. Central Government	4,00,52,674.00	9,51,75,000.00
2. State Government (s)	-	-
3. Government Agencies	-	-
4. Institutions / Welfare Bodies	-	-
5. International Organisations	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>4,00,52,674.00</b>	<b>9,51,75,000.00</b>
<b>SCHEDULE 14</b>	<b>CURRENT YEAR</b>	<b>PREVIOUS YEAR</b>
<b>INCOME FROM FEES / SUBSCRIPTIONS</b>		
1. Entrance Fees	-	-
2. Annual Fees / Subscriptions	-	-
3. Seminar / Program Fees	-	-
4. Consultancy Fees	-	-
5. Others (Specify)	-	-
<b>TOTAL</b>	-	-
Significant Accounting Policies		
Contingent Liabilities and Notes on Accounts		





AIRPORTS ECONOMIC REGULATORY AUTHORITY OF INDIA		
<b>SCHEDULES FORMING PART OF INCOME &amp; EXPENDITURE ACCOUNT AS AT 31.03.2017</b>		
<b>SCHEDULE 15</b>	<b>Current Year</b>	<b>(AMOUNT Rs.) Previous year</b>
<b>INCOME FROM INVESTMENTS</b>		
(Income on investment from Earmarked / Endowment fund transferred to fund)		
1. Interest		
a) On Government Securities	-	-
b) Other Bonds / Debentures	-	-
2. Dividend		
a) On Share	-	-
b) On Mutual Fund Securities	-	-
3. Rents	-	-
4. Others (Specify)	-	-
<b>TOTAL</b>	-	-
<b>TRANSFERRED TO EARMARKED / ENDOWMENT FUNDS</b>		
<b>SCHEDULE 16</b>	<b>CURRENT YEAR</b>	<b>PREVIOUS YEAR</b>
<b>INCOME FROM ROYALTY, PUBLICATION ETC.</b>		
1. Income from Royalty	-	-
2. Income from Publications	-	-
3. Others (Specify)	-	-
<b>TOTAL</b>	-	-
<b>SCHEDULE 17</b>	<b>CURRENT YEAR</b>	<b>PREVIOUS YEAR</b>
<b>INTEREST EARNED</b>		
1. On Term Deposits :		
a) With Schedule Banks	-	-
b) With non-Schedule Banks	-	-
c) With Institutions	-	-
d) Others	-	-
2. On Savings Accounts :		
a) With Schedule Banks	-	-
b) With non-Schedule Banks	-	-
c) With Institutions	-	-
d) Others	-	-
3. On Loans :		
a) Employees / Staff	-	-
b) Others	-	-
4. Interest on Debtors and other Receivables	-	-
<b>TOTAL</b>	-	-
<b>Note -Tax Deducted at sources to be indicated</b>		
Significant Accounting Policies		
Contingent Liabilities and Notes on Accounts		
Subject to Local Audit by the Local Audit Committee/Chartered Accountant.		





AIRPORTS ECONOMIC REGULATORY AUTHORITY OF INDIA		
SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT AS AT 31.03.2017		
SCHEDULE 18	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
(AMOUNT Rs.)		
<b>OTHER INCOME</b>		
1. Profit on sale / disposal of assets :		
a) Owned assets	-	-
b) Assets acquired out of grants, or received free of cost	-	-
2. Exports incentives realized	-	-
3. Fees for Miscellaneous Services (Tender Fees) List G	82,664.00	8,266.00
4. Miscellaneous Income	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>82,664.00</b>	<b>8,266.00</b>
<b>SCHEDULE 19</b>	<b>CURRENT YEAR</b>	<b>PREVIOUS YEAR</b>
<b>INCREASE/(DECREASE) IN STOCK OF FINISHED GOODS &amp; WORK IN PROGRESS</b>		
a). Closing Stock		
Finished Goods	-	-
Work-in-progress	-	-
b). Less : Opening Stock		
Finished Goods	-	-
Work-in-progress	-	-
<b>NET INCREASE / (DECREASE) (A-B)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SCHEDULE 20</b>	<b>CURRENT YEAR</b>	<b>PREVIOUS YEAR</b>
<b>ESTABLISHMENT EXPENSES</b>		
a) Salaries and Wages List H	2,54,50,546.00	2,67,92,581.00
b) Allowances and Bonus List I	65,626.00	24,178.00
c) Contribution to Provident Fund		
d) Contribution to other fund (Specify)		
e) Miscellaneous Expenses (Honorarium) List J	-	-
f) Expenses on Employees Retirement and Terminal benefits	-	-
g) Others (Specify) / medical exp.	-	2,47,711.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,55,16,172.00</b>	<b>2,70,64,470.00</b>
Significant Accounting Policies		
Contingent Liabilities and Notes on Accounts		
Subject to Local Audit by the Local Audit Committee/Chartered Accountant.		





## AIRPORTS ECONOMIC REGULATORY AUTHORITY OF INDIA

**SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT AS AT 31.03.2017**

(AMOUNT Rs.)

SCHEDULE 21	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
<b>OTHER ADMINISTRATIVE EXPENSES ETC.</b>		
a) Electricity and Power	-	-
b) Repair and maintenance	-	-
c) Rent, Rates and Taxes	63,39,145.00	52,43,360.00
d) Vehicle Running & maintenance Exps.	41,04,596.00	22,14,437.00
d) Postage, Telephone and Communication charges	2,49,762.00	22,45,501.00
e) Printing and stationery	-	-
f) Travelling and Conveyance Expenses	30,06,705.00	8,14,320.00
g) Web Design & Development Expenses	-	-
h) Subscription Expenses	-	-
i) Auditors Remuneration	-	-
j) Office expenses, computer, pantry, Amc chgs, refreshment, books	1,03,29,010.00	2,36,76,582.63
k) Professional Charges	69,19,609.00	-55,76,159.00
l) Advertisement and publicity	-	-
m) Others (men power, House keeping & Security office Exp. Etc)	75,43,843.00	19,70,086.00
	<b>3,84,92,670.00</b>	<b>3,05,88,127.63</b>

SCHEDULE 22	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
<b>EXPENDITURE ON GRANTS, SUBSIDIES ETC.</b>		
a) Grants given to Institutions / Organisations	-	-
b) Subsidies given to Institutions / Organisations	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

SCHEDULE 23	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
<b>INTEREST</b>		
a) On Fixed Loans	-	-
b) On Other Loans (Including Bank Charges)	-	-
c) Others (Specify)	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

SCHEDULE 23A	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
<b>PRIOR PERIOD OTHER EXPENSE</b>		
a) MTNL Provision	3,91,648.00	-
b) TDS Provision	3,95,226.00	-
<b>TOTAL</b>	<b>7,86,874.00</b>	<b>-</b>

Significant Accounting Policies  
Contingent Liabilities and Notes on Accounts



**AIRPORTS ECONOMIC REGULATORY AUTHORITY OF INDIA****SCHEDULES FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31.3.2017****SCHEDULE 24 – SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES****1. ACCOUNTING CONVERSION**

The financial statements are prepared on the basis of historical cost convention, on the accrual method of accounting unless otherwise stated.

**2. INVENTORY VALUATION                      Not Applicable****3. INVESTMENTS                                      Not Applicable****4. EXCISE DUTY                                      Not Applicable****5. FIXED ASSETS**

5.1 Fixed Assets are purchased out of Grants in aid received from government. According to Accounting Standard 12, AERA is in the practice of transferring the grants received from the government specifically for purchase of capital assets and the corresponding expenditure on the purchase of fixed assets directly to the Income and Expenditure Account. There is nil impact on the Income and Expenditure Account as the Expenditure and equivalent grant against the capital assets are charged in the same year.

5.2 Fixed assets received by way of non-monetary grants (other than towards the corpus fund), are capitalized at values stated, by corresponding credit to capital fund.

**6. DEPRECIATION**

6.1 No Depreciation is charged on the assets purchased from the Grants in aid received from Government.

6.2 The depreciation is charged on the Fixed assets received by way of non-monetary grants as per rates of income tax act and corresponding grant is also credited to income and expenditure account from capital reserve. Assets costing Rs 5,000/- or less are fully depreciated in the year of acquisition.

**7. MISCELLANEOUS EXPENSES                      NIL****8. ACCOUNTING FOR SALES                      Not Applicable**



## 9 GOVERNMENT GRANTS / SUBSIDIES

- 9.1 Government Grants of the nature of contribution towards capital cost of setting up project are treated as Capital Reserve.
- 9.2 Grants in respect of specific fixed assets acquired are shown as deduction from the cost of the assets.
- 9.3 Government Grants / Subsidy are accounted on realization basis.

## 10. FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS

- 10.1 Transactions denominated in foreign currency are accounted at the exchange rate prevailing at the time of transaction.
- 10.2 Current assets, foreign currency loans and currents liabilities are converted at the exchange rate prevailing as on 31<sup>st</sup> March of the said financial year. The resultant gain/ loss related to fixed assets are adjusted to the cost of fixed assets and in other cases are adjusted to the revenue.

## 11. LEASE

- 11.1 The lease deed has been entered into with Air India and issued vide F No. AERA/10015/Office Rent–Air India/2012 dated 6<sup>th</sup> Aug 2013.

## 12. RETIREMENT BENEFITS

- 12.1 The authority has officers and staff on roll, who have joined from different government organizations on deputation. As per the provisions of FR 115 (a) & 115(b), the leave salary contribution and the pension contribution in respect of these officers/staff have been drawn up & paid up to FY 2016-17. These amounts have been subsequently sent to the concerned organizations of the officers/staff on deputation.
- 12.2 The Chairperson, Members of the Authority and Government servants who joined government service on or after 01.01.2004 are eligible for Government contribution under New Pension Scheme. The Government contribution for such eligible officers under NPS has been paid up to March 2017.

Place: New Delhi

  
(Puja Jindal)  
Secretary

  
(S Machendranathan)  
Chairperson



**AIRPORTS ECONOMIC REGULATORY AUTHORITY OF INDIA**  
**SCHEDULES FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31.3.2017**  
**SCHEDULE 25- CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS**

1. **CONTINGENT LIABILITIES** NIL

2. **CAPITAL COMMITMENTS** NIL

3. **LEASE OBLIGATIONS** –Lease rent has been finalized.

4. **CURRENT ASSETS LOANS AND ADVANCES**

In the opinion of the management, the current assets, loans and advances have a value on realization in the ordinary course of business, equal at least to the agreement amount shown in the balance sheet.

5. **TAXATION**

In view of there being no taxable income under Income-Tax act 1961, no provision for income tax has been made

6. **FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS**      **CURRENT YEAR**      **PREVIOUS YEAR**

6.1 **Values of Imports Calculated on C.I.F. BASIS**      NIL      NIL

6.2 **Expenditure in foreign currency:**

a) Travel	NIL	NIL
b) Remittance and interest payment to Financial institutions/banks In foreign currency-	NIL	NIL
c) Other expenditure	NIL	NIL
- commission on sales	NIL	NIL
-legal and professional expenses	NIL	NIL
- Miscellaneous expenses	NIL	NIL

6.3 **Earnings:**

Value of exports on FOB	NIL	NIL
-------------------------	-----	-----

7. **Remuneration to auditors**

As Auditors	1,10,000.00	1,10,000.00
-taxation matters		
-for management services		
-for certification		

Others	NIL	NIL
--------	-----	-----





8. Schedules 1 to 25 are annexed to and form an integral part of the balance sheet as on 31.03.2017 and the income and expenditure account for the year ended on that date.
9. Previous year's figures have been regrouped and rearranged, whenever necessary.

**Place: New Delhi**



  
(Puja Jindal)  
Secretary

  
(S Machendranathan)  
Chairperson

**Separate Audit Report of the Comptroller & Auditor General of India on the Accounts of Airports Economic Regulatory Authority of India (AERA) for the year ended 31 March 2017.**

We have audited the attached Balance Sheet of Airports Economic Regulatory Authority of India (AERA), New Delhi as at 31 March 2017 and the Income & Expenditure Account/Receipts & Payments Account for the year ended on that date under Section 19(2) of the Comptroller & Auditor General's (Duties, Power & Conditions of Service) Act, 1971 read with rule 35(2) of Airports Economic Regulatory Authority of India Act, 2008. These financial statements are the responsibility of the AERA's Management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

2. This Separate Audit Report contains the comments of the Comptroller & Auditor General of India (C & AG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms etc. Audit observations on financial transactions with regard to compliance with the Laws, Rules & Regulations (Propriety and Regularity) and efficiency-cum-performance aspects etc., if any, are reported through Inspection Reports/CAG's Audit Report separately.

3. We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidences supporting the amounts and disclosure in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

4. Based on our audit, we report that:

- i) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.
- ii) The Balance Sheet and Income & Expenditure Account/Receipts & Payments Account dealt with by this report have been drawn up in the format as prescribed by the Ministry of Finance.
- iii) In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by the Airports Economic Regulatory Authority of India as required under section 35 (1) of AERA Act, 2008 in so far as it appears from our examination of such books.
- iv) We further report that :



**Comments on Accounts****A. Balance Sheet****Corpus/ Capital fund and Liabilities****Current liabilities and Provisions (Schedule 7) ₹ 2.58 crore**

This did not include liabilities amounting to ₹9.76 crore detailed as under:

- a) Establishment expenses (salary, wages and other benefits) amounting to ₹ 9.57 crore towards services of AAI employees borrowed by AERA during the period 2010-11 to 2016-17.

This has resulted in understatement of prior period establishment expenditure by ₹ 8.31 crore and establishment expenses for the year 2016-17 by ₹ 1.26 crore. This issue was included in the SAR on the Accounts of AERA for the year 2013-14, 2014-15 and 2015-16 also, however, no corrective action has been taken.

- b) Rent of ₹ 0.19 crore payable for office space taken on lease from Air India.

Thus non-provision of liability of ₹ 9.76 crore resulted in understatement of 'Current Liabilities and provisions' and understatement of 'Excess of expenditure over Income' to the same extent.

**B. General**

As per the Gazette notification of Ministry of Civil Aviation dated 16 August 2016 relating to format of accounts of AERA the corpus/capital fund would be shown as below:-

<b>SCHEDULE I – CORPUS/CAPITAL FUND</b>	<b>Current Year</b>		<b>Previous Year</b>	
Balance at the beginning of the year	....	....	....	....
Add: Contribution towards Corpus/Capital Fund	....	....	....	....
Add/(Deduct): Balance of net income/(expenditure)	....	....	....	....
Transferred from the Income and Expenditure Account	....	....	....	....
<b>BALANCE AT THE YEAR END</b>				

However, in the Balance Sheet the amount of excess of expenditure over income of ₹ 2.31 crore was not deducted from Corpus Fund, instead it was shown separately as Miscellaneous Expenditure. This has resulted in overstatement of Corpus/Capital Fund as well as Miscellaneous Expenditure by ₹ 2.31 crore.

**C. Grants- in- Aid**

During the year 2016-17, AERA received Grants-in-Aid of ₹ 4.00 crore from Ministry of Civil Aviation. AERA had an opening balance of unspent grant of

₹3.11 crore (₹0.58 crore under salary head and ₹2.53 crore under non salary head for the year 2015-16). Out of the total grant of ₹7.11 crore (₹4.00 crore + ₹3.11 crore), AERA utilized ₹6.82 crore leaving a balance of ₹0.29 crore (₹0.28 crore under salary head and ₹0.01 crore under non-salary head) as unutilized grant as on 31 March 2017.

- v. Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance Sheet and Income & Expenditure Account/Receipt & Payment Account dealt with by this report are in agreement with the books of accounts.
- vi. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said financial statements read together with the Accounting Policies and Notes to Accounts, and subject to the significant matters stated above and other matters mentioned in Annexure to this Separate Audit Report, give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India.
  - a) In so far as it relates to the Balance Sheet, of the state of affairs of the Airports Economic Regulatory Authority of India as at 31 March 2017; and
  - b) In so far as it relates to Income & Expenditure Accounts of the deficit for the year ended on that date.

For and on behalf of the C&AG of India



(Neelesh Kumar Sah)

Place: New Delhi  
Date: 17 January 2018

Principal Director of Commercial Audit  
& ex-officio Member Audit Board-I,  
New Delhi



**Annexure to the Separate Audit Report  
on the accounts of Airports Economic Regulatory Authority of India (AERA) for  
the year 2016-17**

1.	<b>Adequacy of Internal Audit System</b>	No Internal audit was conducted during the year 2016-17.
2.	<b>Internal Control System</b>	The internal control system was commensurate with size of the organization.
3	<b>System of Physical Verification of fixed assets</b>	Test check revealed that physical verification of fixed assets was not carried out during the financial year 2016-17.
4	<b>System of Physical Verification of Inventory</b>	There was no inventory.
5	<b>Regularity in payment of statutory dues</b>	Statutory due were paid on time.

**Management Replies to the comments of C&AG, in its separate Audit report on the Accounts of the Airports Economics Regulatory Authority of India for the year ended 31<sup>st</sup> March, 2017**

Para No.	Observation of C&AG	Reply of the Authority
<b>A.</b>	<b>BALANCE SHEET</b> <b>Corpus/Capital Fund and Liabilities</b> <b>Current Liabilities and Provisions (Sch. 7) – Rs. 2.58 crore</b>	
<b>H.M. No. 5</b>	<p>This did not include liabilities amounting to Rs. 9.76 crore detailed as under:-</p> <p>a) Establishment expenses (Salary, wages and other benefits) amounting to Rs. 9.57 crore towards services of AAI employees borrowed by AERA during the period 2010-11 to 2016-17. This has resulted in understatement of prior establishment expenditure by Rs. 8.31 crore and establishment expenses for the year 2016-17 by Rs. 1.26 crore. This issue was included in the SAR on the Accounts of AERA for the year 2013-14, 2014-15 and 2015-16 also, however, no corrective action has been taken.</p>	<p>The Authority is a newly created organization &amp; its core function is Tariff regulation which is specialized function. As AAI personnel have experience of tariff determination, it was decided by MoCA vide their letter dated 13-05-2009 to post officers/staff from AAI to AERA for a period of Six months initially on loan basis for tariff determination which was subsequently extended upto June 2011. The Authority is fully funded through Grants-in-Aid under the Budget of MoCA and has no other source of income. As such, AERA does not have enough funds to reimburse the cost of manpower to AAI. Accordingly a proposal has already been sent to MoCA for obtaining approval to engage manpower from AAI on loan basis and reimburse cost of manpower to AAI on actual basis. But till date no reply has been received from MoCA. Once the proposal is agreed to by the Govt. and additional funds are provided, the Authority would reimburse the cost of manpower to the AAI working at AERA. Till such time, making provision for salary etc for AAI employees in the Books of Accounts of the Authority would create further budgetary deficit of the Authority and increase its carry over liabilities.</p>



<b>H.M. No. 9</b>	b) Rent of Rs. 0.19 crore payable for office space taken on lease from Air India. Thus non-provision of liability of Rs. 9.76 crore resulted in understatement of current liabilities and provisions and understatement of 'Excess of expenditure over Income' to the same extent.				The Provision for Lease Space could not be made inadvertently in the Provisions for Liabilities and Provisions. Same shall be corrected.		
<b>B.</b>	<b>General</b>						
<b>H.M No. 2</b>	As per the Gazette Notification of Ministry of civil aviation dated 16/08/2016 relating to format of account of AERA the corpus/capital fund would be shown as below:-				The observation of audit has been noted and the Authority would take utmost care to submit the annual statement of accounts 2017-18 as per the format notified by the MoCA vide their Gazette notification dated 16/08/2016.		
	Schedule I- Corpus/Capital Fund	Current Year		Previous year			
	Balance at the beginning of the year	....	....	....			....
	Add: Contribution towards Corpus/Capital Fund	....	....	....			....
	Add/(Deduct): Balance of net income/(expenditure)	....	....	....			....
	Transferred from the Income and Expenditure Account						
	BALANCE AT THE YEAR END						
	However, in the balance sheet the amount of excess of expenditure over income of Rs. 2.31 crore was not deducted from Corpus fund, instead it was shown separately as Miscellaneous Expenditure. This has resulted in overstatement of Corpus/Capital Fund as well as Miscellaneous Expenditure by Rs. 2.31 crore.						
<b>C.</b>	<b>Grant-In-Aid</b>						
<b>H.M No. 10</b>	During the year 2016-17, AERA received Grant-in-Aid of Rs. 4.00 crore from Ministry of Civil Aviation. AERA has an opening balance of unspent grant of Rs. 3.11 crore (Rs. 0.58 core under Salary head and Rs. 2.53 crore under non-Salary head for the year 2015-16). Out of the total grant of Rs. 7.11 crore (Rs. 4.00 crore+ Rs. 3.11 crore), AERA utilized Rs. 6.82 crore leaving a balance of Rs. 0.29 crore (Rs. 0.28 crore under Salary head and Rs. 0.01 crore under non-Salary head) as unutilized grant as on 31 March 2017.				The figures submitted are correct and confirmed.		

## ANNEXURE TO SEPARATE AUDIT REPORT

1.	<b>Adequacy of Internal Audit System.</b> No Internal Audit was conducted during the year 2016-17 (HM No. 11)	Due to shortage of officers in the authority, the Internal Audit for the financial Year 2016-17 was not conducted. The same will be carried out for current financial year i.e. 2017-18.
2.	<b>Internal Control System.</b> The internal control system is commensurate with size of the organization.	With the limited number of employees in AERA, the Authority tried to have internal control system in place.
3.	<b>System of Physical Verification of fixed assets.</b> Test check reveals that the physical verification of fixed assets was carried out for the financial year 2016-17. (HM No. 11)	Due to shortage of officers in the Authority, the physical verification of assets could not be carried out in 2016-17. The same will be carried out in the current financial year.
4.	<b>System of Physical Verification of Inventory.</b> There was no inventory.	Since the Authority is not holding any inventory items, no inventory is being maintained in the Authority.
5.	<b>Regularity in payment of Statutory dues</b> Statutory due were paid on time	The Authority is deducting tax on payments made from the budget and depositing the same with the Central Government. The amounts credited in the books of accounts are generally paid in the month of April and tax is being deposited with the Central Government in first week of May. The tax amounts, which are yet to be settled is deducted at the time of payment and deposited accordingly.







